



झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

(भर्ती एवं सेवा शर्तें)



नियमावली – 2003 की संशोधित नियमावली – 2017

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची द्वारा प्रकाशित।



झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

(भर्ती एवं सेवा शर्तें)

नियमावली – 2003 की संशोधित नियमावली – 2017

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय,
राँची द्वारा प्रकाशित।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं
1. झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2003	- 01
2. अधिसूचना संख्या-3294, दिनांक - 01 जुलाई, 2005	- 17
3. अधिसूचना संख्या-3358, दिनांक - 05 जुलाई, 2005	- 23
4. अधिसूचना संख्या-331, दिनांक - 10 फरवरी, 2006	- 29
5. अधिसूचना संख्या-2449, दिनांक - 25 अगस्त, 2006	- 32
6. अधिसूचना संख्या-2451, दिनांक - 25 अगस्त, 2006	- 35
7. अधिसूचना संख्या-562, दिनांक - 05 मार्च, 2007	- 38
8. अधिसूचना संख्या-677, दिनांक - 04 मार्च, 2008	- 40
9. अधिसूचना संख्या-704, दिनांक - 07 मार्च, 2008	- 44
10. झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के संशोधित अनुसूची	- 47
11. अधिसूचना संख्या-661, दिनांक - 04 मार्च, 2013	- 54
12. अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक - 23 अक्टूबर, 2013	- 56
13. अधिसूचना संख्या-3851, दिनांक - 23 अक्टूबर, 2013	- 60
14. अधिसूचना संख्या-3853, दिनांक - 23 अक्टूबर, 2013	- 62
15. अधिसूचना संख्या-850, दिनांक - 04 मार्च, 2014	- 64
16. अधिसूचना संख्या-852, दिनांक - 04 मार्च, 2014	- 69
17. अधिसूचना संख्या-1366, दिनांक - 03 जून, 2016	- 80
18. अधिसूचना संख्या-1767, दिनांक - 20 जुलाई, 2016	- 95
19. अधिसूचना संख्या-1849, दिनांक - 26 जुलाई, 2016	- 97
20. अधिसूचना संख्या-2297, दिनांक - 21 सितम्बर, 2016	- 99
21. झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधित नियमावली, 2017	- 102
22. अधिसूचना संख्या-1430, दिनांक - 15 जून, 2017	- 133
23. अधिसूचना संख्या-2119, दिनांक - 21 अगस्त, 2017	- 135



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित।

संख्या - 101

16 फाल्गुन, 1924 शकाब्द
राँची, सोमवार 10 मार्च, 2003

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

10 मार्च, 2003

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली,
2003

संख्या - 1 स्था०98 / 2002-1362 वि०स०-सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड, माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के परामर्श से झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय में कर्मियों की नियुक्ति और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के विनियमन के लिए निम्न नियम बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम :-

- (i) यह नियमावली झारखण्ड विधान-सभा (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली कहलाएगी।
- (ii) यह नियमावली झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ - इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो :-

- (i) "संविधान" से तात्पर्य है भारत का संविधान,
- (ii) "वित्त मंत्रालय" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का वित्त मंत्रालय,
- (iii) "पदाधिकारी" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मचारीवृन्द,
- (iv) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस नियमावली में संलग्न अनुसूची,
- (v) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा अध्यक्ष,
- (vi) "सचिव" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा सचिव या इस पद के दायित्वों का निर्वाह कर रहा पदाधिकारी,
- (vii) "सचिवालय" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा का सचिवालय,
- (viii) श्रेणी-1, श्रेणी-2, श्रेणी-3, एवं श्रेणी-4 के पदाधिकारी से तात्पर्य है अनुसूची में यथा निर्दिष्ट श्रेणी-1, श्रेणी-2, श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 का पद धारण करने वाला कोई पदाधिकारी,
- (ix) "पदवर्ग समिति" से तात्पर्य है सभा सचिवालय के कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित समिति,
- (x) "सभा सचिवालय नियुक्ति समिति" से तात्पर्य है सभा-सचिवालय में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु गठित समिति,
- (xi) "सीमित प्रतियोगिता परीक्षा" से तात्पर्य है सभा-सचिवालय में कार्यरत श्रेणी-4 के कर्मचारियों की श्रेणी-3 में प्रोन्नति तथा श्रेणी-3 के कर्मचारियों का श्रेणी-3 के अन्य पदों में प्रोन्नति हेतु ली जाने वाली परीक्षा,
- (xii) "विभागीय परीक्षा" से तात्पर्य है सहायक संवर्ग में सहायक के पद से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु परीक्षा,

- (xiii) "वित्तीय समितियों" से तात्पर्य है विधान-सभा की प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति।

3. सभा सचिवालय में पद संख्या और उसका गठन :-

भारत के संविधान का अनुच्छेद 187 के अनुसरण में झारखण्ड विधान-सभा का एक सचिवालय होगा, जिसमें -

- (i) उतने स्थायी तथा अस्थायी पद होंगे जो अनुसूची में दर्शाए गए हैं,
- (ii) अध्यक्ष, समय-समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या बढ़ाकर या घटा कर अथवा पद या पदों की कोई नयी कोटि जोड़कर उक्त अनुसूची का संशोधन कर सकेंगे, परन्तु अध्यक्ष, पद वर्ग समिति की अनुशंसा के बिना अनुसूची में कोई संशोधन नहीं करेंगे।

4. भर्ती की पद्धति :-

- (i) किसी पद या पदों की किसी श्रेणी में निम्न किसी भी पद्धति से भर्ती की जा सकेगी -
 - (क) सचिवालय में नियोजित व्यक्ति की प्रोन्नति द्वारा,
 - (ख) सीधी भर्ती द्वारा,
- (ii) अध्यक्ष, समय-समय पर आदेश द्वारा,
 - (क) किसी पद पर या पदों की किसी श्रेणी में भर्ती की पद्धति या पद्धतियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, परन्तु अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अथवा चयन प्रक्रिया के किसी अंश को किसी बाह्य एजेन्सी से सम्पादित करा सकेंगे।
 - (ख) हर पद्धति से भरी जाने वाली रिक्तियों का अनुपात अवधारित कर सकेंगे, परन्तु किसी भी दशा में श्रेणी-4

के पदों को छोड़कर सीधी भर्ती का अनुपात रिक्त पदों के 50% से अधिक नहीं होगा।

- (ग) प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में यह विनिर्दिष्ट कर सकेंगे कि किस श्रेणी के पदाधिकारी किन शर्तों के अधीन ऐसी प्रोन्नति के पात्र होंगे, परन्तु किसी भी प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि दो वर्षों की होगी, परन्तु यह भी कि अध्यक्ष, यथेष्ट कारणों से कालावधि को क्षान्त कर सकेंगे।

5. नियुक्ति तथा प्रोन्नति हेतु परीक्षा :-

- (i) अनुसूची में यथानिर्दिष्ट पदों पर सीधी नियुक्तियाँ, "सभा-सचिवालय नियुक्ति समिति" की अनुशंसा पर अध्यक्ष करेंगे, सभा-सचिवालय नियुक्ति समिति का गठन अध्यक्ष करेंगे तथा सभा-सचिवालय कर्मचारीवृन्द से समिति के सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा इस समिति में सभापति सहित अधिकतम पाँच सदस्य होंगे, सभा सचिव उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।
- (ii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा-सभा-सचिवालय के श्रेणी-4 के कर्मियों की श्रेणी-3 के पदों पर प्रोन्नति तथा श्रेणी-3 के कर्मियों की श्रेणी-3 के अन्य पदों पर प्रोन्नति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर होगी, परन्तु चयनित कर्मचारियों की वरीयता उनके पूर्व धारित पद की वरीयता के अनुरूप कायम रहेगी।
- (iii) विभागीय परीक्षा - सहायक संवर्ग के सहायक के पद से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सभा-सचिवालय द्वारा वर्ष में दो बार विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना साधारणतः कोई भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति पाने का हकदार नहीं होगा।

परीक्षा के विषय निम्न होंगे :-

प्रथम पत्र - झारखण्ड विधान सभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली, झारखण्ड सेवा संहिता, पेंशन रूल्स, कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली।

द्वितीय पत्र - हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण।

तृतीय पत्र - भारत का संविधान, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम, सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमावली, सदस्यों के वेतन एवं भत्ता नियमावली।

प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 होगा तथा उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र में पृथक-पृथक 40 अंक का होगा।

6. परिवीक्षा :-

श्रेणी 1 के अतिरिक्त किसी भी श्रेणी में किसी स्थायी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्षों तक परिवीक्षाधीन रहेंगे,

परन्तु अध्यक्ष, आदेश द्वारा यथेष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि घटा या बढ़ा सकेंगे, परन्तु यह और भी कि सभा-सचिवालय के किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति की सम्पुष्टि अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा की जाएगी।

7. वेतन एवं भत्ते :-

- (i) सचिवालय के प्रत्येक पद का वेतनमान वही होगा जो अनुसूची में प्रत्येक के समक्ष दिया गया है। इन पदों को धारण करने वाले ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार असैनिक सचिवालय के विभागों में काम करने वाले समरूप पंक्ति के कर्मचारियों को समय-समय पर मंजूर करे।

परन्तु, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मियों का वेतन तथा अनुषांगिक भत्ते तथा विधायी कार्य निष्पादन के लिए

आवश्यक अन्य सुविधाओं का निर्णय "पद वर्ग समिति" द्वारा किया जाएगा।

"पद वर्ग समिति" अध्यक्ष के आदेश से गठित की जाएगी, जिसमें सभापति सहित अधिकतम 9 सदस्य होंगे। झारखण्ड सरकार के वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री, विधान-सभा की किसी भी एक वित्तीय समिति के सभापति, विधान-सभा के सचिव, सभा सचिवालय की प्रशासनिक शाखा के उप सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा सचिवालय कर्मचारीवृन्द में से एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। सभापति सहित समस्त सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। पद वर्ग समिति की उन अनुशंसाओं जिनसे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध बजट में निहित राशि के अतिरिक्त राशि के व्यय की स्थिति हो, के कार्यान्वयन तथा आवश्यक बजटीय उपबन्ध के लिए राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय को अध्यक्ष के आदेश से भेज दिया जाएगा। अन्य अनुशंसाओं का कार्यान्वयन अध्यक्ष के आदेश से सभा-सचिवालय द्वारा किया जाएगा।

(ii) गुरुत्तरदायित्व भत्ते का भुगतान - (1) सचिव के ओहदे तक के प्रत्येक अधिकारी को पहली अप्रैल से शुरू होने वाले मार्च के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आयोजित विधान-सभा सत्रों के दौरान गुरुत्तरदायित्व कार्य का निर्वाह के लिए प्रतिवर्ष एक माह के कुल वेतन अर्थात् मूल वेतन तथा कुल परिलब्धियों के बराबर (जो 31 मार्च अर्थात् वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन होता है) गुरुत्तरदायित्व भत्ता प्राप्त होगा।

(2) गुरुत्तरदायित्व भत्ते का भुगतान प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किया जाएगा, किन्तु विधान-सभा के बजट सत्र की समाप्ति के पूर्व नहीं जो उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के पूर्व प्रारम्भ हो गया हो जिसके लिए भत्ता भुगतान योग्य है। यदि बजट सत्र 31 मार्च के पूर्व प्रारम्भ नहीं होता है तो गुरुत्तरदायित्व भत्ते का भुगतान 31 मार्च के पश्चात् भुगतान योग्य होगा।

(3) सचिव के ओहदे तक अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा के ऐसे कर्मचारी को, जिसने वित्तीय वर्ष में आयोजित विधान-सभा सत्र की अवधि कुल दिनों की संख्या के कम से कम 90 प्रतिशत दिनों तक सचिवालय में कार्य किया हो पूर्ण गुरुत्तरदायित्व भत्ता प्राप्त होगा और इस प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रत्येक विधान-सभा सत्र की बैठक बुलाने की तारीख से उसकी बैठक की अंतिम तारीख तक आयोजित किया गया माना जाएगा।

(4) सचिव के ओहदे तक के ऐसे अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा के ऐसे कर्मचारी को जिसने वित्तीय वर्ष में आयोजित विधान-सभा सत्र की अवधि के कुल दिनों की संख्या के 90 प्रतिशत दिनों से कम अवधि के लिए विधान-सभा सचिवालय में कार्य किया हो, गुरुत्तरदायित्व भत्ता समानुपातिक रूप में प्राप्त होगा तथा इस प्रयोजन में लिये भुगतान योग्य गुरुत्तरदायित्व भत्ते का समानुपात वही होगा जिस समानुपात में वह वित्तीय वर्ष में आयोजित सत्रों की कुल अवधि की तुलना में कर्तव्यस्थ रहा हो तथा प्रत्येक सत्र की अवधि की गणना विधान-सभा बुलाने की तारीख से उसकी बैठक की अंतिम तारीख तक की जाएगी।

8. सेवा की अन्य शर्तें :-

- (i) इस नियमावली में उल्लिखित सेवा शर्तों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सेवा की अन्य शर्तें समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर तय की जाएगी।
- (ii) पद वर्ग समिति जब तक कोई पृथक् अनुशंसा न कर दे सभा-सचिवालय कर्मचारीवृन्द को वही सुविधायें उन शर्तों के अधीन प्राप्त होती रहेगी जो राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप कर्मचारीवृन्द को उसकी सेवा शर्तों के अधीन प्राप्त होती है।

9. आपवादिक मामलों में शिथिलन :-

यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि किसी पदाधिकारी की सेवा शर्तों के संबंध में कोई नियम का उपबंध करने से किसी खास व्यक्ति को अनुचित क्लेश पहुँचता हो तो वे पद वर्ग समिति से परामर्श करने तथा उसकी अनुशंसा के बाद आदेश द्वारा, किसी नियम या उपबंध की अपेक्षाओं को उस हद तक और उन शर्तों के अधीन रहते हुए अभिमुक्त या शिथिल कर सकेंगे, जो उस मामले को उचित और न्याय संगत ढंग से निबटाने के लिए आवश्यक समझा जाए।

10. नियंत्रण और अनुशासन :-

सचिवालय के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

11. दण्ड :-

किसी पदाधिकारी को, ठीक और पर्याप्त कारणों से निम्न दण्ड दिये जा सकेंगे -

- (i) निन्दन,
- (ii) वेतन वृद्धि या प्रोन्नति रोक रखना,
- (iii) निम्नतर पद पर या निम्नतर कालमान वेतन में या कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर विच्युति,
- (iv) उपेक्षा या आदेश भंग के चलते संघ या राज्य को हुई हानि का सम्पूर्ण या कोई भाग वेतन से वसूला जाना,
- (v) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति,
- (vi) सचिवालय की सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगे कोई नियोजन पाने में अयोग्य न बनाएगा,
- (vii) सचिवालय की सेवा से बर्खास्तगी, जो साधारणतः सरकार के अधीन आगे नियोजन पाने में अयोग्य बनाएगी।
- (viii) जुर्माना।
- (ix) निलम्बन।

स्पष्टीकरण :-

- (1) यदि परिवीक्षा-काल में या उसकी समाप्ति के बाद किसी पदाधिकारी का नियोजन समाप्त कर दिया जाय, तो यह इस नियम के अधीन नियोजन से हटाया जाना या बर्खास्तगी न समझा जाएगा।
- (2) यदि किसी पदाधिकारी के मामले पर यथावत् विचार करके उसे ऐसे पद पर या कोटि (ग्रेड) में जिसमें चयन द्वारा प्रोन्नति दी जाती हो, प्रोन्नत न किया जाए, तो यह इस नियम के अन्तर्गत प्रोन्नति को रोका जाना न समझा जाएगा।
- (3) यदि किसी पदाधिकारी को, जो किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा हो, उच्चतर पद पर उसका काम देखने के बाद या प्रशासनिक कारणों से (जैसे उक्त पद के स्थायी धारी के छुट्टी या प्रतिनियुक्ति से लौटने और उपयुक्त पदाधिकारी उपलब्ध होने तथा ऐसे ही कारणों से) निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए, तो यह इस नियम के अन्तर्गत पंक्ति-च्युति न समझा जाएगा।
- (4) यदि किसी पदाधिकारी को (झारखण्ड सेवा-संहिता के नियम 74 के उपबन्धों के अधीन या वित्त विभाग, संकल्प संख्या एफ०एल०-5021-62-452 एफ०, दिनांक 11 जनवरी, 1963 के अनुसार) अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाए, तो इस नियम के अन्तर्गत दण्ड न समझा जाएगा।
- (5) यदि विभागीय परीक्षाएँ पास न करने के चलते किसी पदाधिकारी की वेतनवृद्धि रोक दी जाए, तो इस नियम के अर्थान्तर्गत वेतनवृद्धि का रोका जाना न समझा जाएगा।
- (6) जुर्माने का दण्ड सिर्फ श्रेणी-4 के कर्मचारियों को ही दिया जा सकेगा।

12. दण्ड देने वाला प्राधिकारी :-

संविधान के अनुच्छेद-311 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष को उस पदाधिकारी को जिसके वे नियुक्ति प्राधिकारी हों, नियम-11 में विनिर्दिष्ट दण्ड देने की शक्ति होगी,

परन्तु अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सचिव या श्रेणी-1 या श्रेणी-2 के किसी भी पदाधिकारी को, श्रेणी-3 या श्रेणी-4 के कर्मचारियों को उक्त दण्ड देने की शक्ति सौंप सकेंगे।

13. अपील :-

(1) प्रत्येक पदाधिकारी को सचिव द्वारा मूलतः या अपील पर दिये गये किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसके द्वारा नियम-11 में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड दिया या संपुष्ट किया गया हो, परन्तु जहाँ सचिव के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा मूलतः ऐसा आदेश दिया गया हो, वहाँ सचिव के पास ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी।

(2) अध्यक्ष द्वारा मूलतः या अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा, परन्तु अध्यक्ष स्वतः या आवेदन किये जाने पर इस नियम के अधीन दिये गये अपने किसी आदेश को पुनरीक्षित या विखंडित कर सकेंगे।

14. पदाधिकारियों का आचरण :-

इस नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक पदाधिकारी ऐसे आचरण अनुशासन और नियंत्रण सम्बन्धी नियमों से शासित होंगे जो अध्यक्ष समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे।

15. अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों का अधिप्रमाणीकरण :-

इस नियमावली के उपबंधों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया और अध्यक्ष के नाम से निष्पादित कोई आदेश ऐसी रीति से अधिप्रमाणीकृत किया जाएगा, जो अध्यक्ष समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

16. कार्य-सम्पादन :-

अध्यक्ष, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रचालन से उद्भूत कार्यों के सुविधापूर्ण और कुशल संपादन के लिए और इस प्रयोजनार्थ अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में उपबंध कर सकेंगे। परन्तु ऐसे आदेश में वैसे विषयवर्ग भी विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे जो आदेश निकाले जाने के पूर्व स्वयं अध्यक्ष की दृष्टि में लाए जाएंगे।

17. अवशिष्ट शक्तियाँ :-

नियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी विषय, जिनके सम्बन्ध में इस नियमावली में विनिर्दिष्टतः उपबन्ध नहीं किये गये हों, चाहे वे इस नियमावली के उपबन्धों के आनुषांगिक या सहायक हों अथवा अन्यथा हों अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

18. निर्वचन :-

इस नियमावली के निर्वचन सम्बन्धी सभी प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किए जाएंगे और उन पर वे जो निर्णय देंगे वह अंतिम होगा।

परन्तु नियम 3, 7, 8, 9, 17 और अनुसूची तथा नियमावली के अधीन निकाले गये किसी आदेश के निर्वचन सम्बन्धी सभी प्रश्नों का निर्णय "पद वर्ग समिति" की अनुशंसा के आलोक में अथवा अन्य विहित रीतियों से जैसा वे उचित समझें अध्यक्ष करेंगे।

19. विखण्डन और व्यावृत्ति :-

इस नियमावली में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़, इस नियमावली के समरूप और इस नियमावली के प्रारम्भ से तुरंत पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा विखंडित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार विखण्डित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली के समरूप उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी।

अनुसूची

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
सहायक	1.	सचिव	1	18,400-500-22,400	अपर सचिव से प्रोन्नति	1
	2.	अपर सचिव	2	16,400-450-20,000	संयुक्त सचिव से प्रोन्नति	1
	3.	संयुक्त सचिव	4	14,300-400-18,300	उप सचिव से प्रोन्नति	1
	4.	उप सचिव	16	12,000-375-16,500	अवर सचिव से प्रोन्नति	1
	5.	अवर सचिव	32	10,000-325-15,200	प्रशाखा पदा० से प्रोन्नति	1
	6.	प्रशाखा पदाधिकारी	64	6,500-200-10,500	सहायक से प्रोन्नति	2
	7.	सहायक	150	5,500-175-9,000	50% अन्य तृतीय श्रेणी से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	3
प्रतिवेदन	1.	वरीय प्रतिवेदक	2	10,000-325-15,200	प्रतिवेदक से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	प्रतिवेदक	23	6,500-200-10,500	50% निजी सहायक से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	2
निजी सहायक	1.	वरीय निजी सहायक	2	6,500-200-10,500	निजी सहायक से प्रोन्नति	2
	2.	निजी सहायक	23	5,500-175-9,000	सीधी भर्ती	3
सुरक्षा	1.	मार्शल	1	6,500-200-10,500	सहायक मार्शल से प्रोन्नति	2
	2.	सहायक मार्शल	2	5,000-150-8,000	सुरक्षा प्रहरी से प्रोन्नति	3
	3.	सुरक्षा प्रहरी	22	3,050-75-3,950-80-4,590	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती	3

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
चयूर्या लिपिक	1.	अधीक्षक	2	6,500-200-10,500	चयूर्या लिपिक से प्रोन्नति द्वारा	2
	2.	चयूर्या लिपिक	23	4,000-100-6,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा।	3
टंकक	1.	अधीक्षक	2	6,500-200-10,500	प्रधान टंकक से प्रोन्नति	2
	2.	प्रधान टंकक	4	5,000-150-8,000	टंकक से प्रोन्नति	3
	3.	टंकक	19	4,000-100-6,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा।	3
पुस्तकालय	1.	अधीक्षक	2	6,500-200-10,500	सहायक पुस्तकालय अध्याक्ष से प्रोन्नति	2
	2.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	2	5,500-175-9,000	सूचीकार से प्रोन्नति।	3
	3.	सूचीकार	2	5,000-150-8,000	50% अन्य तृतीय श्रेणी से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	3
शोध संदर्भ	1.	अधीक्षक	1	6,500-200-10,500	शोध सहायक से प्रोन्नति।	2
	2.	शोध सहायक	2	5,500-175-9,000	सीधी भर्ती	3
	3.	पुस्तकालय अनुचर	4	2,610-60-3,150-65-3,540	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	3
जनसंपर्क	1.	जनसंपर्क अधिकारी	1	6,500-200-10,500	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी से प्रोन्नति।	2

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
	2.	सहायक जन संपर्क अधिकारी	2	5,500-175-9,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	3
प्रकाशन	1.	वाद विवाद सम्पादक	1	6,500-200-10,500	प्रकाशन सहायक से प्रोन्नति।	2
	2.	प्रकाशन सहायक	2	5,500-175-9,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	3
	3.	प्रूफ रीडर	2	4,000-100-6,000	सीधी भर्ती	3
अवधायक	1.	पर्यवेक्षक	1	6,500-200-10,500	अवधायक से प्रोन्नति।	2
	2.	अवधायक	2	5,500-175-9,000	सहायक अवधायक से प्रोन्नति	3
	3.	सहायक अवधायक	4	4,000-100-6,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	3
तृतीय श्रेणी के अन्य पद	1.	विपत्र लिपिक	15	4,000-100-6,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
	2.	ध्वनि नियंत्रक	2	4,000-100-6,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
	3.	गेस्टेटनर ऑपरेटर	2	4,000-100-6,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
	4.	फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर	2	4,000-100-6,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
	5.	फैक्स ऑपरेटर	2	4,000-100-6,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
	6.	ट्रेजरी सरकार	2	2,750-70-3,800-75-4,400	प्रोन्नति द्वारा।	
	7.	दफ्तरी	4	2,610-60-3,150-65-3,540	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
	8.	अभिलेखवाह	2	2,650-65-3,300-70-4,000	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
	9.	जमादार	2	2,610-60-3,150-65-3,540	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
	10.	चालक (कार्यालय)	10	3,050-75-3,950-80-4,590	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
	11.	चालक (समिति)	10	3,050-75-3,950-80-4,590	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती।	
चतुर्थ श्रेणी के पद	1.	आदेश वाहक अनुसेवक (कार्यालय)	50	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती।	
	2.	आदेश वाहक अनुसेवक (समिति)	25	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती।	
	3.	अनुसेवक	75	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती।	
	4.	दरबान	15	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती।	

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
	5.	फर्राश	35	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती।	
	6.	मेहतर	35	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती।	

1. माननीय अध्यक्ष, मा० उपाध्यक्ष, समिति के सभापतिगण, नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक तथा सचेतकों के लिए अनुमान्य पद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार सृजित किये जा सकेंगे।
2. कैंडर विभाजन के फलस्वरूप वैसे पद जो इस अनुसूची में नहीं है वे उक्त पद पर धारक कर्मी की सेवानिवृत्ति या प्रोन्नति के साथ ही स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
3. कैंडर विभाजन के फलस्वरूप झारखण्ड विधान-सभा को प्राप्त होने वाले पद (रिक्त या कार्यबल) इस अनुसूची में उल्लिखित पद में ही समाहित समझे जायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमरनाथ झा,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

संख्या - 1 स्था०-74 / 2003-3294-वि०स०, राँची, दिनांक 01 जुलाई, 2005 ई०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1स्था०-98 / 2002-1362 वि०स०, दिनांक 10 मार्च, 2003, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 की कंडिका-7 (1) के अधीन गठित पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा ने नियमावली के नियम 3(ii) में प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में नियमावली की अनुसूची में दर्शाए गये स्थायी पदों की पद संरचना निम्नलिखित रूप में आंशिक रूप से संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की है :-

पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	भर्ती की पद्धति
सहायक संवर्ग		
1. सचिव	1	अपर सचिव से प्रोन्नति
2. अपर सचिव	2	संयुक्त सचिव से प्रोन्नति
3. संयुक्त सचिव	4+1	उप सचिव से प्रोन्नति
4. उप सचिव	16	अवर सचिव से प्रोन्नति
5. अवर सचिव	32	प्रशाखा पदाधिकारी से प्रोन्नति
6. प्रशाखा पदाधिकारी	64	सहायक से प्रोन्नति
7. सहायक	150	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
प्रतिवेदक संवर्ग		
मुख्य प्रतिवेदक (14,300-400-18,300 एवं 500 रु० विशेष वेतन)	1	वरीयतानुसार उप मुख्य प्रतिवेदक से प्रोन्नति द्वारा।
निदेशक (प्रतिवेदन) (14,300-400-18,300 एवं 500 रु० विशेष वेतन)	1	उप मुख्य प्रतिवेदक से योग्यता (हिन्दी-अंग्रेजी भाषा में लेखन/संपादन क्षमता एवं हिन्दी प्रारूपण एवं टिप्पण परीक्षा) के आधार पर।
उप मुख्य प्रतिवेदक (12,000-375-16,500 एवं 400 रु० विशेष वेतन)	2	वरीय प्रतिवेदक से प्रोन्नति

झारखण्ड विधान सभा

पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	भर्ती की पद्धति
वरीय प्रतिवेदक (10,000-325-15,200 एवं 300 रु० विशेष वेतन)	4	प्रतिवेदक से प्रोन्नति
प्रतिवेदक (6,500-200-10,500 एवं 200 रु० विशेष वेतन)	20	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार
कार्यवाही सहायक (5,500-175-9,000)	2	सीधी भर्ती द्वारा।
टंकक संवर्ग		
मुख्य अधीक्षक (12,000-375-16,500)	1	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
उप मुख्य अधीक्षक (10,000-325-15,200)	2	प्रशासी पदाधिकारी/अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
अधीक्षक (6,500-200-10,500)	2	प्रधान टंकक से प्रोन्नति द्वारा।
प्रधान टंकक (5,500-175-9,000)	4	टंकक से प्रोन्नति द्वारा।
टंकक (4,000-100-6,000)	20	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
उर्दू टंकक (4,000-100-6,000)	2	'तथैव'
प्रेषण संवर्ग		
मुख्य अधीक्षक (12,000-375-16,500)	1	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
उप मुख्य अधीक्षक (10,000-325-15,200)	2	प्रशासी पदाधिकारी/अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
अधीक्षक (6,500-200-10,500)	2	उपाधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
उपाधीक्षक (5,500-175-9,000)	4	चयूर्यालिपिक से प्रोन्नति द्वारा।
चयूर्यालिपिक (4,000-100-6,000)	20	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
निजी सहायक संवर्ग		
आप्त सचिव (10,000-325-15,200)	2 (दो)	वरीय निजी सहायक से प्रोन्नति।

झारखण्ड विधान सभा

पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	भर्ती की पद्धति
वरीय निजी सहायक (6,500-200-10,500)	4 (चार)	निजी सहायक से प्रोन्नति।
निजी सहायक (5,500-175-9,000)	20 (बीस)	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
सुरक्षा संवर्ग		
चीफ मार्शल (10,000-325-15,200)	1 (एक)	मार्शल से प्रोन्नति।
मार्शल (6,500-200-10,500)	4 (चार)	सहायक मार्शल से प्रोन्नति।
सहायक मार्शल (5,000-150-8,000)	8 (आठ)	सुरक्षा प्रहरी (आनुपातिक रूप से महिला सहित) से प्रोन्नति
सुरक्षा प्रहरी (पुरुष) (3,050-75-3,950-80-4,590)	25 (पच्चीस)	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
सुरक्षा प्रहरी (महिला) (3,050-75-3,950-80-4,590)	10 (दस)	'तथैव'
पुस्तकालय एवं शोध संदर्भ शाखा		
मुख्य अधीक्षक (12,000-375-16,500)	1 (एक)	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति।
उप मुख्य अधीक्षक (10,000-325-15,200)	1 (एक)	अधीक्षक से प्रोन्नति।
अधीक्षक (6,500-200-10,500)	2 (दो)	शोध सहायक-सह-सूचीकार से प्रोन्नति।
शोध सहायक-सह-सूचीकार (5,500-175-9,000)	6 (छः)	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
अवधायक संवर्ग		
मुख्य पर्यवेक्षक (10,000-325-15,200)	1 (एक)	पर्यवेक्षक से प्रोन्नति।
पर्यवेक्षक (6,500-200-10,500)	2 (दो)	अवधायक से प्रोन्नति।
अवधायक (5,500-175-9,000)	4 (चार)	सहायक अवधायक से प्रोन्नति।
सहायक अवधायक (4,000-100-6,000)	6 (छः)	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।

पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	भर्ती की पद्धति
चालक संवर्ग	2 (दो)	चालक (कार्यालय एवं समिति के संयुक्त वरीयता) से प्रोन्नति।
वाहन पर्यवेक्षक (5,500-175-9000)	20-20 पद क्रमशः	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
चालक (कार्यालय एवं समिति) (3,050-75-3,950-80-4,590)		
उद्यान शाखा पर्यवेक्षक (5,500-175-9,000)	1 (एक)	कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी स्नातक एवं न्यूनतम तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
माली (2,550-55-2,660-60-3,200)	20 (बीस)	सीधी भर्ती द्वारा।

- उपरोक्त संवर्गों में पर्यवेक्षकीय एवं राजपत्रित पदों के वेतनमान अनुसूची में वर्णित सहायक संवर्ग के पदों के समकक्ष स्तर के माने जायेंगे।
- अनुसूची में वर्णित सभी पदों की नियुक्ति में राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले आरक्षण के प्रावधानों को सभा सचिवालय में लागू किया जाएगा।
- उपरोक्त संशोधित पद संरचना को समिति की अनुशंसा की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमावली की अनुसूची में तदनुसार जोड़ दिया जाय।
- नियमावली की अनुसूची में वर्णित विभिन्न संवर्गों के पद संरचना यथा वर्णित संशोधित पद-संरचना के अनुसार इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं इसके अतिरिक्त नियमावली की अनुसूची में वर्णित अन्य संवर्गों के पदों की पूर्व निर्धारित पद संरचना तथा अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।
 - पदवर्ग समिति की दिनांक 06-06-05 को हुई बैठक में लिए गये निर्णयानुसार यथासंशोधित।
 - पदवर्ग समिति की दिनांक 06-06-05 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रतिस्थापित।

झारखण्ड विधान सभा

आदेशानुसार,
ह० / -
1.07.2005
(सीताराम सहनी),
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या - 1स्था०-74 / 2003-3295 वि०स०, राँची, दिनांक 01 जुलाई,
2005 ई०।

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द पटेल फव्व,
पटना/पो०-हिनु, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/
लेखा शाखा, वि०स०, राँची एवं स्थापन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा
(10 प्रतियों में) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह० / -
1.07.2005
(श्यामजी प्रसाद),
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-1 स्था०-74 / 2003 / 3295 / वि०स०, राँची, दिनांक 01 जुलाई,
2005 ई०।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची
को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह० / -
1.07.2005
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-1 स्था०-74 / 2003 / -3295 / वि०स०, राँची, दिनांक 01 जुलाई, 2005 ई०।

प्रतिलिपि : बजट शाखा, विधान-सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित। अनुरोध है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-7 के आलोक में बजटीय उपबंध के लिए कार्रवाई की जाय।

ह० / -

1.07.2005

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-1 स्था०-74 / 2003-3295 / वि०स०, राँची, दिनांक 01 जुलाई, 2005 ई०।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के असाधारण आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ सभा सचिवालय के कार्यार्थ उपलब्ध करावें।

ह० / -

1.07.2005

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित ।

संख्या - 345

14 आषाढ़, 1927 शकाब्द
राँची, मंगलवार 05 जुलाई, 2005

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

05 जुलाई, 2005

संख्या - 1 स्था०-74 / 2003-3358 / वि०स० / सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1, स्था०-74 / 03-3294, दिनांक 01 जुलाई, 2005 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1 स्था०-98 / 2002-1362, वि०स०, दिनांक 10 मार्च, 2003, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2003 की कंडिका-7 (i) के अधीन गठित पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा ने नियमावली के नियम 3(ii) एवं 4(ii) में प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में नियमावली की अनुसूची में दर्शाए गये स्थायी पदों की पद संरचना निम्नलिखित रूप में आंशिक रूप में संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की है :-

पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	भर्ती की पद्धति
सहायक संवर्ग		
1. सचिव	1	अपर सचिव से प्रोन्नति
2. अपर सचिव	2	संयुक्त सचिव से प्रोन्नति

पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	भर्ती की पद्धति
3. संयुक्त सचिव	4+1	उप सचिव से प्रोन्नति
4. उप सचिव	16	अवर सचिव से प्रोन्नति
5. अवर सचिव	32	प्रशाखा पदाधिकारी से प्रोन्नति
6. प्रशाखा पदाधिकारी	64	सहायक से प्रोन्नति
7. सहायक	150	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
प्रतिवेदक संवर्ग		
मुख्य प्रतिवेदक (14,300-400-18,300 एवं 500 रु० विशेष वेतन)	1	वरीयतानुसार उप मुख्य प्रतिवेदक से प्रोन्नति द्वारा।
निदेशक (प्रतिवेदन) (14,300-400-18,300 एवं 500 रु० विशेष वेतन)	1	उप मुख्य प्रतिवेदक से योग्यता (हिन्दी-अंग्रेजी भाषा में लेखन/संपादन क्षमता एवं हिन्दी प्रारूपण एवं टिप्पण परीक्षा) के आधार पर।
उप मुख्य प्रतिवेदक (12,000-375-16,500 एवं 400 रु० विशेष वेतन)	2	वरीय प्रतिवेदक से प्रोन्नति।
वरीय प्रतिवेदक (10,000-325-15,200 एवं 300 रु० विशेष वेतन)	4	प्रतिवेदक से प्रोन्नति।
प्रतिवेदक (6,500-200-10,500 एवं 200 रु० विशेष वेतन)	20	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
कार्यवाही सहायक (5,500-175-9,000)	2	सीधी भर्ती द्वारा।
टंकक संवर्ग		
मुख्य अधीक्षक (12,000-375-16,500)	1	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
उप मुख्य अधीक्षक (10,000-325-15,200)	2	प्रशासी पदाधिकारी/अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
अधीक्षक (6,500-200-10,500)	2	प्रधान टंकक से प्रोन्नति द्वारा।
प्रधान टंकक (5,500-175-9,000)	4	टंकक से प्रोन्नति द्वारा।
टंकक (4,000-100-6,000)	20	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
उर्दू टंकक (4,000-100-6,000)	2	'तथैव'

झारखण्ड विधान सभा

पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	भरती की पद्धति
श्रेण्य संवर्ग		
मुख्य अधीक्षक (12,000-375-16,500)	1	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
उप मुख्य अधीक्षक (10,000-325-15,200)	2	प्रशासी पदाधिकारी/अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
अधीक्षक (6,500-200-10,500)	2	उपाधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा।
उपाधीक्षक (5,500-175-9,000)	4	घयूर्यालिपिक से प्रोन्नति द्वारा।
घयूर्यालिपिक (4,000-100-6,000)	20	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
निजी सहायक संवर्ग		
आप्त सचिव (10,000-325-15,200)	2 (दो)	वरीय निजी सहायक से प्रोन्नति।
वरीय निजी सहायक (6,500-200-10,500)	4 (चार)	निजी सहायक से प्रोन्नति।
निजी सहायक (5,500-175-9,000)	20 (बीस)	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
सुरक्षा संवर्ग		
चीफ मार्शल (10,000-325-15,200)	1 (एक)	मार्शल से प्रोन्नति।
मार्शल (6,500-200-10,500)	4 (चार)	सहायक मार्शल से प्रोन्नति।
सहायक मार्शल (5,000-150-8,000)	8 (आठ)	सुरक्षा प्रहरी (आनुपातिक रूप से महिला सहित) से प्रोन्नति
सुरक्षा प्रहरी (पुरुष) (3,050-75-3,950-80-4,590)	25 (पच्चीस)	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
सुरक्षा प्रहरी (महिला) (3,050-75-3,950-80-4,590)	10 (दस)	'तथैव'
पुस्तकालय एवं शोध संदर्भ शाखा		
मुख्य अधीक्षक (12,000-375-16,500)	1 (एक)	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति।
उप मुख्य अधीक्षक (10,000-325-15,200)	1 (एक)	अधीक्षक से प्रोन्नति।
अधीक्षक (6,500-200-10,500)	2 (दो)	शोध सहायक-सह-सूचीकार से प्रोन्नति।

पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	भर्ती की पद्धति
शेख सहायक-सह-सूचीकार (5,500-175-9,000)	6 (छः)	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
अवधायक संवर्ग		
मुख्य पर्यवेक्षक (10,000-325-15,200)	1 (एक)	पर्यवेक्षक से प्रोन्नति।
पर्यवेक्षक (6,500-200-10,500)	2 (दो)	अवधायक से प्रोन्नति।
अवधायक (5,500-175-9,000)	4 (चार)	सहायक अवधायक से प्रोन्नति।
सहायक अवधायक (4,000-100-6,000)	6 (छः)	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
चालक संवर्ग		
वाहन पर्यवेक्षक (5,500-175-9,000)	2 (दो)	चालक (कार्यालय एवं समिति) से प्रोन्नति।
चालक (कार्यालय एवं समिति) (3,050-75-3,950-80-4,590)	20-20 पद क्रमशः	नियमावली में निर्धारित प्रक्रियानुसार।
उद्यान शाखा		
पर्यवेक्षक (5,500-175-9,000)	1 (एक)	कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी स्नातक एवं न्यूनतम तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।
माली (2,550-55-2,660-60-3,200)	20 (बीस)	सीधी भर्ती द्वारा।

1. उपरोक्त संवर्गों में पर्यवेक्षकीय एवं राजपत्रित पदों के वेतनमान अनुसूची में वर्णित सहायक संवर्ग के पदों के समकक्ष स्तर के माने जायेंगे।
2. अनुसूची में वर्णित सभी पदों की नियुक्ति में राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले आरक्षण के प्रावधानों को सभा सचिवालय में लागू किया जाएगा।
3. उपरोक्त संशोधित पद संरचना को समिति की अनुशंसा की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमावली की अनुसूची में तदनुसार जोड़ दिया जायेगा।

नियमावली की अनुसूची में वर्णित विभिन्न संवर्गों के पदों की संरचना यथा वर्णित संशोधित पद-संरचना के अनुसार इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं इसके अतिरिक्त नियमावली की अनुसूची में वर्णित अन्य संवर्गों के पदों की पूर्व निर्धारित पद संरचना तथा अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

.... पदवर्ग समिति की दिनांक 06-06-05 को हुई बैठक में लिए गये निर्णयानुसार यथासंशोधित।

.... पदवर्ग समिति की दिनांक 06-06-05 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित अनुशंसाओं को जोड़ा जाता है जिन्हें नियमावली के नियम 4 (ii) एवं विधि द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक में अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से क्रियान्वित किया जाएगा :-

- (i) सीमित परीक्षा द्वारा 50 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत पद भरे जायेंगे।
- (ii) दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर योग्यतानुसार अनुबंध के आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र के आलोक में नियुक्ति की जाएगी।
- (iii) वर्तमान पदवर्ग समिति का कार्यकाल विधान-सभा कार्यकाल पर्यन्त तक रखने एवं इसकी एक उप समिति का गठन।
- (iv) पदवर्ग समिति की अनुशंसा की प्रत्याशा में पदों की संख्या अध्यक्ष महोदय के आदेश से बढ़ायी जाएगी।
- (v) सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति में अनुभव एवं अतिरिक्त योग्यता के आधार पर आवेदकों को नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

आदेशानुसार,

ह० / -

05.07.2005

(सीताराम सहनी),

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-1 स्था०-74/2003-3359 वि०स०, राँची, दिनांक 05 जुलाई
2005

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द पटेल पथ/
पो०-हिनू, राँची / वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / लेखा शाखा
एवं स्थापन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा (10 प्रतियों में) को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह० / -

05.07.2005

(श्यामजी प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-1 स्था०-74/2003-3359 वि०स०, राँची, दिनांक 05 जुलाई
2005

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची
को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / -

05.07.2005

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

10 फरवरी, 2006

संख्या - 1 स्था०-74/2003-331/वि०स०, सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1362, वि०स०, दिनांक 10 मार्च, 2003 के नियम 3(ii) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं शर्त) नियमावली, 2003 की अनुसूची में आदेशवाहक, अनुसेवक पद को अनुसेवक के पद में सम्महित कर आदेशवाहक अनुसेवक के स्वीकृत 75 (पचहत्तर) पद को अनुसेवक के स्वीकृत पद में जोड़ते हुए नियमावली के अनुसूची से आदेशवाहक अनुसेवक का पद विलोपित किया जाता है। आदेशवाहक अनुसेवक के स्वीकृत पद को अनुसेवक के स्वीकृत पद में जोड़ने से अनुसूची में 150 (एक सौ पचास) अनुसेवक के स्वीकृत पद होंगे।

यह संशोधन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2003 का अंग होगा।

मा० अध्यक्ष, झा०वि० सभा के आदेश से,

ह०/-

10.02.2006

(सीताराम सहनी),

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

आपांक 1 स्था० 74/2003 332/वि०स०, राँची, दिनांक 10 फरवरी, 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/पो०-हिन्, राँची एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

10.02.2006

(रवीन्द्र कुमार सिंह),
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० 74/2003 332/वि०स०, राँची, दिनांक 10 फरवरी
2006 ई०।

प्रतिलिपि :- महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / -

10.02.2006

(रवीन्द्र कुमार सिंह),
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० 74/2003 332/वि०स०, राँची, दिनांक 10 फरवरी, 2006
ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपा
हाउस डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

10.02.2006

(रवीन्द्र कुमार सिंह),
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० 74/2003 332/वि०स०, राँची, दिनांक 10 फरवरी, 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बजट शाखा एवं स्थापना शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

10.02.2006

(रवीन्द्र कुमार सिंह),

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० 74/2003 332/वि०स०, राँची, दिनांक 10 फरवरी, 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

10.02.2006

(रवीन्द्र कुमार सिंह),

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 अगस्त, 2006

संख्या - 1 स्था०-74/2003-2449 - वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2003 के नियम 3(ii) के अनुसरण में पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-3358 वि०स०, दिनांक 05 जुलाई, 2005 एवं अधिसूचना संख्या-331 वि०स०, दिनांक 10 फरवरी, 2006 के क्रम में सभा सचिवालय में निम्नलिखित पदों का सृजन करते हुए उक्त नियमावली की अनुसूची में जोड़ा जाता है।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभियुक्ति
1.	सचिव	एक	18,400-500-22,400	दि० - 17.01.06 से दि० - 31.01.07 तक सृजित।
2.	अपर सचिव	एक	16,400-450-20,000	दि० - 17.12.04 से सृजित।
3.	संयुक्त सचिव	पाँच	14,300-400-18,300	
4.	वरीय प्रतिवेदक	दो	10,000-325-15,200	
5.	प्रतिवेदक	दस	6,500-200-10,500	
6.	वरीय निजी सहायक	दो	6,500-200-10,500	
7.	निजी सहायक	दस	5,500-175-9,000	
8.	उप मुख्य अधीक्षक (टंकण)	दो	10,000-325-15,200	
9.	अधीक्षक (टंकण)	दो	6,500-200-10,500	
10.	प्रधान टंकक	दो	5,500-175-9,000	
11.	टंकक	दस	4,000-100-6,000	
12.	वरीय ट्रेजरी सरकार	एक	4,000-100-6,000	
13.	वरीय वाहन पर्यवेक्षक	एक	6,500-200-10,500	
14.	वाहन पर्यवेक्षक	दो	5,500-175-9,000	

क्रम संख्या-1 पर उल्लिखित सचिव का पद दिनांक 31 जनवरी 2007 के बाद स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

यह संशोधन झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भरती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2003 का अंग होगा।

मा० अध्यक्ष, झा०वि० सभा के आदेश से,

ह०/-

25.08.2006

(सीताराम सहनी),

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74/2003 2450/वि०स०, राँची, दिनांक 25 अगस्त, 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/पो०-हिन्नु, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/लेखा शाखा, झारखण्ड विधान-सभा एवं स्थापना शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को (10 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

25.08.2006

(कौशल किशोर प्रसाद),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74/2003 2450/वि०स०, राँची, दिनांक 25 अगस्त, 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

25.08.2006

(कौशल किशोर प्रसाद),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74/2003 2450/वि०स०, राँची, दिनांक 25 अगस्त
2006 ई०।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शाखा)
नियमावली, 2003 के नियम 7 के अनुसरण में बजटीय उपबंध
लिए कार्रवाई की जाय।

ह०/-

25.08.2006

(कौशल किशोर प्रसाद),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74/2003 2450/वि०स०, राँची, दिनांक 25 अगस्त
2006 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को
राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ
सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

25.08.2006

(कौशल किशोर प्रसाद),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 अगस्त, 2006

संख्या - 1 स्था०-74/2003-2451-वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2003 के नियम 3(ii) के अनुसरण में पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 3358 वि०स०, दिनांक 05 जुलाई, 2005 एवं अधिसूचना संख्या 331 वि०स०, दिनांक 10 फरवरी, 2006 एवं अधिसूचना संख्या-2449, दिनांक 25 अगस्त, 2006 के क्रम में सभा सचिवालय में निम्नलिखित पदों का सृजन करते हुए उक्त नियमावली की अनुसूची में जोड़ा जाता है।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	विशेष सचिव	दो (2) पद	18,400-500-22,400
2.	अपर सचिव	एक (1) पद	16,400-450-20,000

यह संशोधन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 का अंग होगा।

मा० अध्यक्ष, झा०वि० सभा के आदेश से,

ह०/-

25.08.2006

(सीताराम सहनी),

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74/2003 2452/वि०स०, राँची, दिनांक 25 अगस्त, 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/पो०-हिन्नु, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची/

लेखा शाखा, झारखण्ड विधान-सभा एवं स्थापना शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को (10 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

25.08.2006

(कौशल किशोर प्रसाद),
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74 / 2003 563 / वि०स०, राँची, दिनांक 25 अगस्त 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा झारखण्ड विधान-सभा, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2003 के नियम 7 के अनुसरण में बजटीय उपबंधों के लिए कार्रवाई की जाय।

ह० / -

25.08.2006

(कौशल किशोर प्रसाद),
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74/2003 563/वि०स०, राँची, दिनांक 25 अगस्त, 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

25.08.2006

(कौशल किशोर प्रसाद),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74/2003 563/वि०स०, राँची, दिनांक 25 अगस्त, 2006 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

25.08.2006

(कौशल किशोर प्रसाद),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

05 मार्च, 2007

संख्या - 1 स्था०-74 / 2003-562-वि०स०, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम 3(ii) के अनुसरण में पद व समिति की अनुशंसा के आलोक में सभा-सचिवालय की अधिसूचना संख्या 3358, दिनांक 05 जुलाई, 05 अधिसूचना संख्या 331, दिनांक 10 फरवरी 06 अधिसूचना संख्या 2449, दिनांक 25 अगस्त, 06 एवं अधिसूचना संख्या 2451, दिनांक 25 अगस्त, 06 के क्रम में सभा सचिवालय में निम्नलिखित पदों के सृजन करते हुए उक्त नियमावली की अनुसूची में जोड़ा जाता है

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	विशेष सचिव	एक (1) पद	18,400-500-22,400
2.	अपर सचिव	दो (2) पद	16,400-450-20,000
3.	संयुक्त सचिव	दो (2) पद	14,300-400-18,300
4.	उप सचिव	आठ (8) पद	12,000-375-16,500

यह संशोधन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 का अंग होगा।

मा० अध्यक्ष, झा०वि० सभा के आदेश से.

ह० / -

05.03.2007

(सीताराम सहनी),

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74 / 2003 563 / वि०स०, राँची, दिनांक 05 मार्च 2007 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार एवं झारखण्ड, वीरचन्द पटेल पटना / पो०-हिन्नु, राँची / वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची।

लेखा शाखा, बजट शाखा झारखण्ड विधान-सभा एवं स्थापना शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को (25 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

05.03.2007

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74 / 2003 563 / वि०स०, राँची, दिनांक 05 मार्च, 2007 ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

05.03.2007

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74 / 2003 563 / वि०स०, राँची, दिनांक 05 मार्च, 2007 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / -

05.03.2007

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

04 मार्च, 2003

ज्ञाप संख्या - 1 स्था०-74 / 2003-677-वि०स०। सर्वसाधारण जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2003 के नियम 3(ग) अनुसरण में पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में सभा सचिवालय अधिसूचना संख्या-3294, दिनांक 01 जुलाई, 05 एवं अधिसूचना संख्या 338, दिनांक 05 जुलाई, 05 एवं अधिसूचना संख्या - 331, दिनांक 10 फरवरी, 06 अधिसूचना संख्या-2449, दिनांक 25 अगस्त, 06 अधिसूचना संख्या - 245, दिनांक 25 अगस्त, 06 एवं अधिसूचना संख्या-562, दिनांक 05 मार्च, 06 के क्रम में सभा सचिवालय में निम्नलिखित पदों के सृजन करते हुए सचिवालय नियमावली की अनुसूची में जोड़ा जाता है।

उर्दू शाखा

क्र० सं०	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रक्रिया
1.	प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू)	01	6,500-200-10,500	उर्दू सहायक से प्रोन्नति द्वारा।
2.	उर्दू सहायक	03	6,500-200-10,500	सीधी नियुक्ति द्वारा।
3.	उर्दू अनुवादक	02	5,500-175-9,000	सीधी नियुक्ति द्वारा।
4.	उर्दू चयूर्यालिपिक	01	4,000-100-6,000	सीधी नियुक्ति द्वारा।
5.	अनुसेवक (उर्दू)	01	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी नियुक्ति द्वारा।
6.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (उर्दू)	01	4,000-100-6,000	सीधी नियुक्ति द्वारा।

उद्यान शाखा

क्र० सं०	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रक्रिया
1.	उप मुख्य उद्यान पर्यवेक्षक	01	10,000-325-15,200	पर्यवेक्षक (उद्यान) प्रोन्नति।

झारखण्ड विधान सभा

अवधायक शाखा

क्र० सं०	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रक्रिया
1.	प्रधान मुख्य पर्यवेक्षक	01	12,000-375-16,500	मुख्य पर्यवेक्षक से प्रोन्नति

वाहन संवर्ग

क्र० सं०	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रक्रिया
1.	खलासी	04	2,500-55-2,660-60-3,200	सीधी नियुक्ति द्वारा।

सुरक्षा संवर्ग

क्र० सं०	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रक्रिया
1.	प्रधान महिला सुरक्षा प्रहरी	01	4,000-100-6,000	महिला सुरक्षा प्रहरी से प्रोन्नति।

उर्दू टंकक संवर्ग

क्र० सं०	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रक्रिया
1.	प्रधान उर्दू टंकक	01	5,500-175-9,000	उर्दू टंकक से प्रोन्नति द्वारा।

कम्प्यूटर ऑपरेटर शाखा

क्र० सं०	पदनाम	सृजित पदों की संख्या	वेतनमान	नियुक्ति की प्रक्रिया
1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	06	4,000-100-6,000	सीधी नियुक्ति द्वारा (नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक के साथ कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।)

उत्क्रमित वेतनमान

1.	जनसम्पर्क अधिकारी	वेतनमान 6,500-200-10,500 रुपये के स्थान पर वेतनमान 10,000-325-15,200 रुपये का उत्क्रमित वेतनमान स्वीकृत।
2.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	वेतनमान 5,500-175-9,000 रुपये के स्थान पर वेतनमान 6,500-200-10,500 रुपये का उत्क्रमित वेतनमान स्वीकृत।
3.	पर्यवेक्षक (उद्योग)	वेतनमान 5,500-175-9,000 रुपये के स्थान पर वेतनमान 6,500-200-10,500 रुपये का उत्क्रमित वेतनमान स्वीकृत।

यह संशोधन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (मर्ली एवं सेवा शाखा)
नियमावली, 2003 का अंग होगा।

मा० अध्यक्ष, झा०वि० सभा के आदेश से,
ह० / -

04.03.2008

(सच्चिदानन्द श्रीवास्तव),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74/2003 678/वि०स०, राँची, दिनांक 04 मार्च
2008 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, हिन्डू, राँची तथा वित्त विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

ह० / -

04.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74/2003 678/वि०स०, राँची, दिनांक 04 मार्च
2008 ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नैनी
हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

ह० / -

04.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74 / 2003 678 / वि०स०, राँची, दिनांक 04 मार्च, 2008 ई०।

प्रतिलिपि : बजट शाखा, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2003 के नियम 7 के अनुसरण में बजटीय उपबंध के लिए कार्रवाई की जाय।

ह० / -

04.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74 / 2003 678 / वि०स०, राँची, दिनांक 04 मार्च, 2008 ई०।

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, झारखण्ड विधान-सभा, राँची एवं स्थापन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को (10 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

04.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74 / 2003 678 / वि०स०, राँची, दिनांक 04 मार्च, 2008 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इस राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / -

04.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

07 मार्च, 2008

संख्या - 1 स्था०-74/03-704-वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय पद के न्याय निर्णय सी०डब्लू०जे०सी० 1494/2005 एवं सभा सचिवालय अधिसूचना संख्या - 3358, दिनांक 05 जुलाई, 2005 के आलोक अधिसूचना संख्या-677, दिनांक 04 मार्च, 08 के क्रम अनुसेवक का एक पद, वेतनमान 2,550-55-2,660-60-3,200 रुपये में दिनांक 03 अगस्त से सृजित किया जाता है।

यह सृजन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा) नियमावली, 2003 के अनुसूची का अंग होगा।

अध्यक्ष, झा०वि०स० के आदेश से,
ह०/-

07.03.2008

(सच्चिदानन्द श्रीवास्तव),
प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 1 स्था० - 74/2003 705/वि०स०, राँची, दिनांक 07 मार्च, 2008

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, हिन्डू, राँची तथा वित्त विभाग झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

ह०/-

07.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),
अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74 / 2003 705 / वि०स०, राँची, दिनांक 07 मार्च, 2008 ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

07.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74 / 2003 705 / वि०स०, राँची, दिनांक 07 मार्च, 2008 ई०।

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा / स्थापना शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

07.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक 1 स्था० - 74 / 2003 705 / वि०स०, राँची, दिनांक 07 मार्च, 2008 ई०।

प्रतिलिपि :- बजट शाखा, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2003 के नियम 7 के अनुसरण में बजटीय उपबंध के लिये कार्रवाई की जाय।

ह० / -

07.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान सभा

ज्ञापांक 1 स्था० - 74 / 2003 705 / वि०स०, राँची, दिनांक 07 मार्च, 2008 ई.

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को ह
राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ स
सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / -

07.03.2008

(कौशल किशोर प्रसाद),

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2003 के नियम 3(ii) के अनुसरण में पदवर्ग समिति के अनुशंसा के आलोक में सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-3294, दिनांक 01 जुलाई, 2005, अधिसूचना संख्या - 3358, दिनांक 05 जुलाई, 2005 अधिसूचना संख्या 331, दिनांक 10 फरवरी, 2006 अधिसूचना संख्या - 2449, दिनांक 25 अगस्त, 2006, अधिसूचना संख्या - 2451, दिनांक 25 अगस्त, 2006, अधिसूचना संख्या - 562, दिनांक 05 मार्च, 2007, अधिसूचना संख्या - 677, दिनांक 04 मार्च, 2008 एवं अधिसूचना संख्या - 704, दिनांक 07 मार्च, 2008 के आलोक में झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के संशोधित अनुसूची निम्न रूप से होगी:-

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
1. सहायक संवर्ग	1.	सचिव	1	18,400-500-22,400	विशेष सचिव से प्रोन्नति	1
	2.	विशेष सचिव	3	18,400-500-22,400	अपर सचिव से प्रोन्नति	1
	3.	अपर सचिव	6	16,400-450-20,000	संयुक्त सचिव से प्रोन्नति	1
	4.	संयुक्त सचिव	12	14,300-400-18,300	उप सचिव से प्रोन्नति	1
	5.	उप सचिव	24	12,000-375-16,500	अवर सचिव से प्रोन्नति	1
	6.	अवर सचिव	32	10,000-325-15,200	प्रशाखा पदा० से प्रोन्नति	1
	7.	प्रशाखा पदाधिकारी	64	6,500-200-10,500	सहायक प्रोन्नति से	2
	8.	सहायक	150	6,500-200-10,500	20% अन्य तृतीय श्रेणी से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
2. प्रतिवेदन संवर्ग	1	मुख्य प्रतिवेदक	1	14,300-400-18,300 एवं 500 रुपये विशेष वेतन	वरीयतानुसार उप मुख्य प्रतिवेदक से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	निदेशक (प्रतिवेदन)	1	14,300-400-18,300 एवं 500 रुपये विशेष वेतन	उप मुख्य प्रतिवेदक से योग्यता (हिन्दी-अंग्रेजी भाषा में लेखन / संपादन क्षमता एवं हिन्दी प्रारूपण एवं टिप्पण परीक्षा) के आधार पर	1
	3.	उप मुख्य प्रतिवेदक	2	12,000-375-16,500 एवं 400 रुपये विशेष वेतन	वरीय प्रतिवेदक से प्रोन्नति	1
	4.	वरीय प्रतिवेदक	6	10,000-325-15,200 एवं 300 रुपये विशेष वेतन	प्रतिवेदक से प्रोन्नति	1
	5.	प्रतिवेदक	30	6,500-200-10,500 एवं 200 रुपये विशेष वेतन	20% निजी सहायक से प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	2
	6.	कार्यवाही सहायक	2	5,500-175-9,000	सीधी भर्ती द्वारा	3
3. निजी सहायक संवर्ग	1.	आप्त सचिव	2	10,000-325-15,200	वरीय निजी सहायक से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	वरीय निजी सहायक	6	6,500-200-10,500	निजी सहायक से प्रोन्नति	2
	3.	निजी सहायक	30	6,500-200-10,500	सीधी भर्ती द्वारा	3
4. सुरक्षा संवर्ग (पुरुष)	1.	चीफ मार्शल	1	10,000-325-15,200	मार्शल से प्रोन्नति	1
	2.	मार्शल	4	6,500-200-10,500	सहायक मार्शल से प्रोन्नति	2
	3.	सहायक मार्शल	8	5,000-150-8,000	सुरक्षा प्रहरी से प्रोन्नति	3
	4.	सुरक्षा प्रहरी (पुरुष)	25	3,050-75-3,950-80-4,590	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
5. सुरक्षा संवर्ग (महिला)	1.	प्रधान महिला सुरक्षा प्रहरी	1	4,000-100-6,000	महिला सुरक्षा प्रहरी से प्रोन्नति	3
	2.	सुरक्षा प्रहरी (महिला)	10	3,050-75-3,950-80-4,590	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
6. चयूर्यालिपिक संवर्ग	1.	मुख्य अधीक्षक	1	12,000-375-16,500	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	उप मुख्य अधीक्षक	2	10,000-325-15,200	अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा	1
	3.	अधीक्षक	2	6,500-200-10,500	उपाधीक्षक से प्रोन्नति	2
	4.	उपाधीक्षक	4	5,500-175-9,000	चयूर्यालिपिक से प्रोन्नति द्वारा	3
	5.	चयूर्यालिपिक	20	4,000-100-6,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
7. टंकक संवर्ग	1.	मुख्य अधीक्षक	1	12,000-375-16,500	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	उप मुख्य अधीक्षक	4	10,000-325-15,200	प्रशासी पदाधिकारी / अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा	1
	3.	अधीक्षक	4	6,500-200-10,500	प्रधान टंकक से प्रोन्नति द्वारा	2
	4.	प्रधान टंकक	6	5,500-175-9,000	टंकक से प्रोन्नति द्वारा	3
	5.	टंकक	30	4,000-100-6,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
8. उर्दू टंकक संवर्ग	1.	प्रधान उर्दू टंकक	1	5,500-175-9,000	उर्दू टंकक से प्रोन्नति द्वारा	3
	2.	उर्दू टंकक	2	4,000-100-6,000	सीधी भर्ती द्वारा	3
9. पुस्तकालय	1.	मुख्य अधीक्षक	1	12,000-375-16,500	उप मुख्य अधीक्षक से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	उप मुख्य अधीक्षक	1	10,000-325-15,200	अधीक्षक से प्रोन्नति	1

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
	3.	अधीक्षक	2	6,500-200-10,500	शोध सहायक सह सूचीकार से प्रोन्नति	2
	4.	शोध सहायक सह सूचीकार	6	5,500-175-9,000	सीधी भर्ती द्वारा	3
	5.	पुस्तकालय अनुचर	4	2,610-60-3,150-65-3,540	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
10. जनसंपर्क	1.	जनसंपर्क अधिकारी	1	10,000-325-15,200	सहायक जनसंपर्क अधिकारी से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	2	6,500-200-10,500	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	2
11. प्रकाशन	1	वाद विवाद सम्पादक	1	6,500-200-10,500	प्रकाशन सहायक से प्रोन्नति	2
	2.	प्रकाशन सहायक	2	5,500-175-9,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
	3.	प्रूफ रीडर	2	4,000-100-6,000	सीधी भर्ती	3
12. अवधायक	1.	प्रधान मुख्य पर्यवेक्षक	1	12,000-375-16,500	मुख्य पर्यवेक्षक से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	मुख्य पर्यवेक्षक	1	10,000-325-15,200	पर्यवेक्षक से प्रोन्नति द्वारा	1
	3.	पर्यवेक्षक	2	6,500-200-10,500	अवधायक से प्रोन्नति द्वारा	2
	4.	अवधायक	4	5,500-175-9,000	सहायक अवधायक से प्रोन्नति द्वारा	3
	5.	सहायक अवधायक	6	4,000-100-6,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
	6.	दरबान	15	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती द्वारा	4
	7.	फर्राश	35	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती द्वारा	4

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
	8.	मेहतर	35	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती द्वारा	4
13. चालक संवर्ग	1.	वरीय वाहन पर्यवेक्षक	1	6,500-200-10,500	वाहन पर्यवेक्षक से प्रोन्नति	2
	2.	वाहन पर्यवेक्षक	4	5,500-175-9,000	चालक से प्रोन्नति द्वारा	3
	3.	चालक	40	3,050-75-3,950-80-4,590	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
	4.	खलासी	4	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती द्वारा	4
14. उद्यान शाखा	1.	उप मुख्य उद्यान पर्यवेक्षक	1	10,000-325-15,200	पर्यवेक्षक (उद्यान) से प्रोन्नति द्वारा	1
	2.	पर्यवेक्षक (उद्यान)	1	6,500-200-10,500	कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी स्नातक एवं न्यूनतम तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	2
	3.	माली	20	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती द्वारा	4
15. उर्दू शाखा	1.	प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू)	1	6,500-200-10,500	उर्दू सहायक से प्रोन्नति द्वारा	2
	2.	उर्दू सहायक	3	6,500-200-10,500	सीधी भर्ती द्वारा	2
	3.	उर्दू अनुवादक	2	5,500-175-9,000	सीधी भर्ती द्वारा	3
	4.	उर्दू चयूर्यालिपिक	1	4,000-100-6,000	सीधी भर्ती द्वारा	3
	5.	अनुसेवक (उर्दू)	1	2,550-55-2,660-60-3,200	सीधी भर्ती द्वारा	4
	6.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (उर्दू)	1	4,000-100-6,000	सीधी भर्ती द्वारा	3

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
16. <u>कम्प्यूटर ऑपरेटर शाखा</u>	1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	6	4,000-100-6,000	सीधी नियुक्ति द्वारा (नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक के साथ कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा)	3
17. <u>विपत्र लिपिक</u>	1.	विपत्र लिपिक	15	4,000-100-6,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
18. <u>ध्वनि नियंत्रक</u>	1	ध्वनि नियंत्रक	2	4,000-100-6,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
19. <u>गेस्टेटनर ऑपरेटर</u>	1.	गेस्टेटनर ऑपरेटर	2	4,000-100-6,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
20. <u>फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर</u>	1	फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर	2	4,000-100-6,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
21. <u>फैक्स ऑपरेटर</u>	1.	फैक्स ऑपरेटर	2	4,000-100-6,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
22. <u>ट्रेजरी सरकार संवर्ग</u>	1	वरीय ट्रेजरी सरकार	1	4,000-100-6,000	ट्रेजरी सरकार से प्रोन्नति	3
	2.	ट्रेजरी सरकार	2	2,750-70-3,800-75-4,400	प्रोन्नति द्वारा	3
23. <u>दफ्तरी</u>	1.	दफ्तरी	4	2,610-60-3,150-65-3,540	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
24. <u>अभिलेखवाह</u>	1.	अभिलेखवाह	2	2,650-65-3,300-70-4,000	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	पद की संख्या	वेतनमान	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
25. <u>जमादार</u>	1.	जमादार	2	2,610-60-3,150- 65-3,540	20% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 80% सीधी भर्ती द्वारा	3
26. <u>अनुसेवक</u>	1.	अनुसेवक	151	2,550-55-2,660- 60-3,200	सीधी भर्ती द्वारा	4

(सच्चिदानन्द श्रीवास्तव),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय अधिसूचना

राँची, दिनांक, 04 मार्च, 2013 ई०

संख्या- 01स्था०- 142/2013- 661/वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-7 (ii) (1), (3) एवं (4) में आंशिक संशोधन करते हुए महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित इस नियम के मूल पाठ के अनुसार शब्द "सचिव" के स्थान पर शब्द "अवर सचिव" अंकित किया जाता है।

यह संशोधन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 का अंग होगा।

मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

ह०/-

(समरेन्द्र कुमार पाण्डेय)

प्रभारी सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था०- 142/2013- 662/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2013 ई०।

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, हिन्डू, राँची/ वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(तेजनारायण पाण्डेय)

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था०- 142/2013- 662/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2013 ई०।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था०- 142/2013- 662/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2013 ई०।

प्रतिलिपि- लेखा शाखा/स्थापन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था०- 142/2013- 662/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2013 ई०।

प्रतिलिपि- बजट शाखा, झारखण्ड विधान-सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

04.03.2013

(तेजनारायण पाण्डेय)

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था०- 142/2013-662/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2013 ई०।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना का पचास (50) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

उप सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

संख्या- 01स्था० - 34/2010-3849 वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों), नियमावली, 2003 के नियम-7 (i) के अधीन सभा सचिवालय की अधिसूचना 3083 दिनांक - 29.08.2013 द्वारा गठित पदवर्ग समिति की दिनांक- 21/10/2013 की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा ने नियमावली के नियम 3 (ii) 8 (i) एवं 9 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में नियमावली की अनुसूची एवं सेवा शर्तों में आंशिक रूप से निम्नलिखित संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की है :-

1-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2003 के नियम-7 (ii) के (1) (3) एवं (4) में किये गये आंशिक संशोधन विषयक सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या- 661, दिनांक- 04/03/2013 जिस पर पदवर्ग समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं की गयी है, एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

2-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2003 के नियम-7 (ii) को निम्नवत् रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:- "झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले गुरुत्तरदायित्वपूर्ण विधायी कार्यों के निमित्त एक माह का मूल वेतन (ग्रेड पे सहित) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल में देय होगा।"

3-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2003 के नियम -8 एवं 9 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है तथा दिनांक- 19/05/2004

से प्रोन्नति में आरक्षण दिये जाने विषयक सभा सचिवालय की अधिसूचना 2546, दिनांक- 08/09/2006, जिस पर पदवर्ग समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं की गयी है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

4-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2003 की अनुवर्ती संशोधित अनुसूची निम्न पदों का सृजन करते हुए आंशिक रूप से संशोधित की जाती है :-

क्र० सं०	पद का नाम	पद की संख्या	पे-बैंड	वेतनमान एवं ग्रेड पे
01	संयुक्त सचिव	09 (नौ)	IV	37,400-67,000 ग्रेड पे- 8700
02	वरीय विपत्र लिपिक	04 (चार)	II	9,300-34,800 ग्रेड पे- 4200
03	कुक (मा० अध्यक्ष महोदय के आवासीय कार्यालय हेतु)	02 (दो)	-1S	4440-7440 ग्रेड पे- 1650
04	कुक (मा० अध्यक्ष महोदय के विधान सभा स्थित कार्यालय हेतु)	02 (दो)	-1S	4440-7440 ग्रेड पे- 1650

5-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2003 की अनुवर्ती संशोधित अनुसूची में दर्शाये गये विशेष सचिव के 03 (तीन) पद एतद् द्वारा समाप्त किये जाते हैं। इनमें से दो पद तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाते हैं तथा एक पद वर्तमान पदधारक की प्रोन्नति अथवा सेवा निवृत्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

6-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2003 के नियम- 4(ii) (ख) में सभा सचिवालय के ज्ञापांक- 3359, दिनांक- 05/07/2005 द्वारा निर्धारित श्रेणी- 4 के पदों को छोड़कर सीधी भर्ती का अनुपात रिक्त पदों के 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत किया जाता है।

यह संशोधन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2003 का अंग होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

ह०/-

23.10.13

(सुशील कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 01स्था०- 34/2010- 3850/वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर,
2013 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट- हिन्नु, राँची/वित्त
विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

ह०/-

23.10.13

(रवीन्द्र कुमार सिंह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 01स्था०- 34/2010- 3850/वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर,
2013 ई०।

प्रतिलिपि :- महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह०/-

23.10.13

(रवीन्द्र कुमार सिंह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 01स्था०- 34/2010- 3850/वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर,
2013 ई०।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

23.10.13

(रवीन्द्र कुमार सिंह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 01स्था०- 34 / 2010- 3850 / वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बजट शाखा एवं स्थापन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

23.10.13

(रवीन्द्र कुमार सिंह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक 01स्था०- 34 / 2010- 3850 / वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को आगामी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ सभा सचिवालय के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / -

23.10.13

(रवीन्द्र कुमार सिंह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 23 अक्टूबर, 2013 ई०

संख्या- 01स्था० - 34/2010-3851 वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-7 (i) के अधीन सभा सचिवालय की अधिसूचना 3083 दिनांक - 29.08.2013 द्वारा गठित पदवर्ग समिति की दिनांक- 21/10/2013 की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या-3849 दिनांक-23.10.2013 के अनुसरण में सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2546 दिनांक-08.09.2008 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से

ह०/-

23.10.13

(सुशील कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34/2010-3852/वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट- हिनू, राँची/ वित्त विभाग/ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/ संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

23.10.13

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34 / 2010-3852 / वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा एवं स्थापन शाखा, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

23.10.13

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34 / 2010-3852 / वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को आगामी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ सभा सचिवालय के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / -

23.10.13

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

संख्या- 01स्था० - 34/2010-3853/ वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-7 (i) के अधीन सभा सचिवालय की अधिसूचना 3083 दिनांक - 29.08.2013 द्वारा गठित पदवर्ग समिति की दिनांक- 21/10/2013 की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निर्गत अधिसूचना संख्या-3849 दिनांक-23.10.2013 के अनुसरण में सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-661 दिनांक-04.03.2012 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

ह०/-

23.10.13

(सुशील कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34/2010-3854/ वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट- हिनू, राँची / वित्त विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

23.10.13

(रवीन्द्र कुमार सिंह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34 / 2010-3854 / वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

23.10.13

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34 / 2010-3854 / वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा एवं स्थापन शाखा, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

23.10.13

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34 / 2010-3854 / वि०स०, राँची, दिनांक- 23 अक्टूबर, 2013 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को आगामी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ सभा सचिवालय के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

23.10.13

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 04 मार्च, 2014 ई०।

संख्या- 01स्था०- 34/2010-850/वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-7 (i) के अधीन सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-3083, दिनांक- 29/08/2013 द्वारा गठित पदवर्ग समिति की दिनांक- 26/02/2014 की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा ने नियमावली के नियम-3 (ii) एवं 8(i) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में नियमावली की अनुसूची एवं सेवा शर्तों में आंशिक रूप से निम्नलिखित संशोधन की स्वीकृति प्रदान की है :-

1-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 की अनुवर्ती संशोधन अनुसूची, निजी सहायक संवर्ग के पदों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न पदों का सृजन किया जाता है, साथ ही इस संवर्ग के पूर्व स्वीकृत पद को इस हद तक संशोधित किया जाता है :-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	पे बैंड	वेतनमान एवं ग्रेड पे	भर्ती की पद्धति	श्रेणी
01	आप्त सचिव	10 (दस)	ii	9300-34800 ग्रेड-पे 4800	निजी सहायक से प्रोन्नति	2
02	निजी सहायक	16 (सोलह)	ii	9300-34800 ग्रेड-पे 4600	50% सीधी भर्ती 50% आशुलिपिक से प्रोन्नति।	3
03	आशुलिपिक	20 (बीस)	i	5200-20200 ग्रेड-पे 2400	सीधी भर्ती द्वारा	3

2-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-7 (i) में वर्णित सभा सचिवालय के प्रशासनिक शाखा के उप सचिव के स्थान पर प्रशासनिक शाखा के एक पदाधिकारी प्रतिस्थापित किया जाता है।

3-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-5 (ii) के परन्तुक, चयनित कर्मचारियों की वरीयता उनके पूर्व धारित पद की वरीयता के अनुरूप कायम रहेगी, को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

4-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-5 (iii) में प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के नियमित पदों के 50 प्रतिशत वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा उन सहायकों से भरे जायेंगे जो सहायक ग्रेड में दो वर्षों की अन्यून सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

शेष 50 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से वैसे सहायकों से भरे जायेंगे, जिन्होंने सहायक संवर्ग में दो वर्षों की अनुमोदित सेवा पूर्ण करते हैं।

5-झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 की अनुवर्ती संशोधित अनुसूची, निम्न पदों का सृजन करते हुए, आंशिक रूप से संशोधित की जाती है :-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	पे बैंड	वेतनमान एवं ग्रेड पे	भर्ती की पद्धति	अभियुक्ति
1.	अपर सचिव	06 (छः)	iv	37400-67000 ग्रेड-पे- 8900	संयुक्त सचिव से प्रोन्नति	—
2.	प्रधान जन सम्पर्क अधिकारी	01 (एक)	iii	15600-39100 ग्रेड-पे- 7600	जन सम्पर्क अधिकारी से प्रोन्नति	—
3.	प्रशाखा पदाधिकारी	11 (ग्यारह)	ii	9300- 34800 ग्रेड-पे- 4800	सहायक से प्रोन्नति।	प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त 64 पद को उपलब्ध सहायकों (150) की तुलना में अनुपातिक ढंग से (1 : 2) करने के फलस्वरूप
4.	मार्शल	04 (चार)	ii	9300-34800 ग्रेड-पे- 4600	सहायक मार्शल से प्रोन्नति।	—

झारखण्ड विधान सभा

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	पे बैंड	वेतनमान एवं ग्रेड पे	भर्ती की पद्धति	अभियुक्ति
5.	महिला सहायक मार्शल	05 (पाँच)	ii	9300-34800 ग्रेड-पे- 4200	सुरक्षा प्रहरी महिला से प्रोन्नति।	04 (चार) महिला सहायक मार्शल का पद सृजित एवं पूर्व से मौजूद 01 (एक) प्रधान महिला सुरक्षा प्रहरी का पद महिला सहायक मार्शल में उत्क्रमित।
6.	उर्दू सहायक	01 (एक)	ii	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	उर्दू चयूर्यालिपिक से प्रोन्नति।	--
7.	उर्दू अधीक्षक (टंकक)	01 (एक)	ii	9300-34800 ग्रेड-पे- 4600	प्रधान टंकक उर्दू से प्रोन्नति	--
8.	उर्दू चयूर्यालिपिक	01 (एक)	i	5200-20200 ग्रेड-पे- 2400	उर्दू चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नति।	--
9.	वाहन पर्यवेक्षक	01 (एक)	ii	9300-34800 ग्रेड-पे- 4200	चालक से प्रोन्नति	--

यह संशोधन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2003 का अंग होगा।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से

ह०/-

03.03.14

(सुशील कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- 01स्था०- 34/2010-851/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च 2014 ई०।

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट- डिन्डू, राँची / वित्त विभाग,
झारखण्ड सरकार राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।

ह० / -

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

ज्ञाप सं०- 01स्था०- 34 / 2010- 851 / वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च,
2014 ई० ।

प्रतिलिपि- महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह० / -

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

ज्ञाप सं०- 01स्था०- 34 / 2010- 851 / वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च,
2014 ई० ।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस,
डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह० / -

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

ज्ञाप सं०- 01स्था०- 34 / 2010- 851 / वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि- लेखा शाखा, बजट शाखा एवं स्थापन शाखा (20 प्रतियाँ में), झारखण्ड विधान-सभा, सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- 01स्था०- 34 / 2010- 851 / वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को आगामी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ सभा सचिवालय के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० / -

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 04 मार्च, 2014 ई०।

संख्या- 01स्था०- 34/2010-852/वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मियों के छोटे वेतनमान् संरचना में वेतन स्वीकृत करने के क्रम में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक - 2055, दिनांक - 18.06.2009 द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर गठित वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन तथा वित्त विभाग के पत्रांक - 367, दिनांक-05.02.2014 के आलोक में दिनांक - 26.02.2014 को पदवर्ग समिति द्वारा झारखण्ड विधान सभा के कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए छोटे वेतनमान् संरचना में अनुमान्य वेतनमान् एवं ग्रेड-पे के निमित्त की गई अनुशंसा के आलोक में सभा सचिवालय में मौजूद पदों के सम्मुख अंकित वेतनमान् एवं ग्रेड-पे को दिनांक - 01.01.2006 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है :-

संवर्ग	क्र० सं०	पदनाम	दिनांक-01.01.2006 से स्वीकृत वेतनमान् एवं ग्रेड-पे	अभ्युक्ति
सहायक संवर्ग	1.	सचिव	37400-67000 ग्रेड-पे-10,000	
	2.	विशेष सचिव	37400-67000 ग्रेड-पे-10,000	
	3.	अपर सचिव	37400-67000 ग्रेड-पे-89,00	
	4.	संयुक्त सचिव	37400-67000 ग्रेड-पे-87,00	
	5.	उप सचिव	15600-39100 ग्रेड-पे-7600	
	6.	अवर सचिव	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	

झारखण्ड विधान सभा

	7.	प्रशाखा पदाधिकारी	9300-34800 ग्रेड-पे-4800	
	8.	सहायक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
प्रतिवेदन संवर्ग	1.	मुख्य प्रतिवेदक	37400-67000 ग्रेड-पे-8700	
	2.	निदेशक (प्रतिवेदन)	37400-67000 ग्रेड-पे-8700	
	3.	उपमुख्य प्रतिवेदक	15600-39100 ग्रेड-पे-7600	
	4.	वरीय प्रतिवेदक	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	5.	प्रतिवेदक	9300-34800 ग्रेड-पे-5400	
	6.	कार्यवाही सहायक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
निजी सहायक संवर्ग	1.	आप्त सचिव	9300-34800 ग्रेड-पे-4800	अधिसूचना संख्या-850, दिनांक - 04.03.2014 द्वारा पद सृजित।
	2.	निजी सहायक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	3.	आशुलिपिक	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
सुरक्षा संवर्ग (पुरुष)	1.	चीफ मार्शल	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	2.	मार्शल	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	3.	सहायक मार्शल	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	4.	सुरक्षा प्रहरी (पुरुष)	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	

झारखण्ड विधान सभा

सुरक्षा संवर्ग (महिला)	1	महिला सहायक मार्शल	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	प्रधान महिला सुरक्षा प्रहरी को महिला सहायक मार्शल के वेतनमान- 9300-34800 ग्रेड-पे- 4200 में प्रतिस्थापित पद (अधिसूचना संख्या-850, दिनांक-04.03.2014)
	2.	प्रधान महिला सुरक्षा प्रहरी	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
	3.	सुरक्षा प्रहरी (महिला)	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	
चयूर्यालिपिक संवर्ग	1.	मुख्य अधीक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-7600	
	2.	उप मुख्य अधीक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	3.	अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	4.	उपाधीक्षक	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	5.	चयूर्यालिपिक	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
टंकण संवर्ग	1.	मुख्य अधीक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-7600	
	2.	उप मुख्य अधीक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	3.	अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	4.	प्रधान टंकक	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	5.	टंकक	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	

झारखण्ड विधान सभा

उर्दू टंकक संवर्ग	1.	उर्दू अधीक्षक (टंकक)	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	अधिसूचना संख्या-850. दिनांक - 04.03.2014 द्वारा उर्दू अधीक्षक (टंकक) का पद सृजित।
	2.	प्रधान उर्दू टंकक	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	3.	उर्दू टंकक	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
पुस्तकालय संवर्ग	1.	मुख्य अधीक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-7600	
	2.	उप मुख्य अधीक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	3.	अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड-पे-4800	
	4.	शोध सहायक - सह-सूचीकार	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	5.	पुस्तकालय अनुचर	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	
जन सम्पर्क संवर्ग	1.	प्रधान जन सम्पर्क अधिकारी	15600-39100 ग्रेड-पे-7600	अधिसूचना संख्या-850. दिनांक - 04.03.2014 द्वारा प्रधान जन सम्पर्क अधिकारी का पद सृजित।
	2.	जन सम्पर्क अधिकारी	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	3.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
प्रकाशन संवर्ग	1.	वाद-विवाद सम्पादक	9300-34800 ग्रेड-पे-4800	
	2.	प्रकाशन सहायक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	3.	प्रूफ रीडर	5200-20200 ग्रेड-पे-2800	

झारखण्ड विधान सभा

अवधायक संवर्ग	1.	प्रधान मुख्य पर्यवेक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	2.	मुख्य पर्यवेक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	3.	पर्यवेक्षक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	4.	अवधायक	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	5.	सहायक अवधायक	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	6.	दरबान	4440-7440 ग्रेड-पे-1650 (नन मैट्रिक) 5200-20200 ग्रेड-पे-1800 (मैट्रिक)	
	7.	फर्राश	4440-7440 ग्रेड-पे-1650 (नन मैट्रिक) 5200-20200 ग्रेड-पे-1800 (मैट्रिक)	
	8.	मेहतर	4440-7440 ग्रेड-पे-1650 (नन मैट्रिक) 5200-20200 ग्रेड-पे-1800 (मैट्रिक)	
चालक संवर्ग	1.	वरीय वाहन पर्यवेक्षक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	2.	वाहन पर्यवेक्षक	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	3.	चालक	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	

झारखण्ड विधान सभा

	4.	खलारी	4440-7440 ग्रेड-पे-1650 (नन मैट्रिक) 5200-20200 ग्रेड-पे-1800 (मैट्रिक)	
उद्यान शाखा संवर्ग	1.	उप मुख्य उद्यान पर्यवेक्षक	15600-39100 ग्रेड-पे-6600	
	2.	पर्यवेक्षक (उद्यान)	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	3.	माली	4440-7440 ग्रेड-पे-1650 (नन मैट्रिक) 5200-20200 ग्रेड-पे-1800 (मैट्रिक)	
उर्दू शाखा	1.	प्रशाखा पदाधिकारी	9300-34800 ग्रेड-पे-4800	
	2.	उर्दू सहायक	9300-34800 ग्रेड-पे-4600	
	3.	उर्दू अनुवादक	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	
	4.	उर्दू चय्यालिपिक	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
	5.	अनुसेवक उर्दू	4440-7440 ग्रेड-पे-1650	
	6.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (उर्दू)	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
कम्प्यूटर ऑपरेटर शाखा	1.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	

झारखण्ड विधान सभा

विपत्र लिपिक	1.	वरीय विपत्र लिपिक	9300-34800 ग्रेड-पे-4200	अधिसूचना-संख्या-3849, दिनांक-23.10.13 द्वारा वरीय विपत्र लिपिक का चार(4) पद सृजित।
	2.	विपत्र लिपिक	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
ध्वनि नियंत्रक	1.	ध्वनि नियंत्रक	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
गेस्टेटनर ऑपरेटर	1.	गेस्टेटनर ऑपरेटर	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर	1.	फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
फैक्स ऑपरेटर	1	फैक्स ऑपरेटर	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
ट्रेजरी सरकार संवर्ग	1.	वरीय ट्रेजरी सरकार	5200-20200 ग्रेड-पे-2400	
	2.	ट्रेजरी सरकार	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	
दफ्तरी	1.	दफ्तरी	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	
अभिलेखवाह	1.	अभिलेखवाह	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	
जमादार	1.	जमादार	5200-20200 ग्रेड-पे-2000	
अनुसेवक	1.	अनुसेवक	5200-20200 ग्रेड-पे-1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड-पे-1650 (नन मैट्रिक)	
सभापतियों के निजी सहायकगण (वाह्य कोटा)	1.	निजी सहायक (वाह्य कोटा)	9300-34800 ग्रेड-पे-4600 आवास भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प/ज्ञापन सं० - 504, दिनांक-03.04.12 में यथा वर्णित।

झारखण्ड विधान सभा

सभापतियों के अनुसेवक / आदेशवाहक	1.	अनुसेवक / आदेशवाहक अनुसेवक	4440-7440 ग्रेड-पे-1650 (नन मैट्रिक) 5200-20200 ग्रेड-पे-1800 (मैट्रिक) आवास भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा	
कुक	1.	कुक	4440-7440 ग्रेड-पे-1650	अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक-23.10.13 द्वारा कुक के चार (4) पद सृजित।

यह संशोधन झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2003 का अंग होगा।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

ह० / -

03.03.14

(सुशील कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34 / 2010-853 / वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट-हिन्नु, राँची / वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वित्त विभाग से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना के आलोक में झारखण्ड विधान सभा के पदाधिकारियों का स्थायी वेतनपूर्जा निर्गत करने हेतु महालेखाकार कार्यालय झारखण्ड को संसूचित करने की कृपा की जाय।

ह०/-

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34/2010-853/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि :- कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग/संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34/2010-853/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34/2010-853/वि०स०, राँची, दिनांक - 04 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा/स्थापन शाखा (10 प्रतियाँ में) झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34/2010-853/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि :- सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक - 01स्था०- 34/2010-853/वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च, 2014 ई०।

प्रतिलिपि :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कोषांग एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झारखण्ड विधान सभा

झारपाक - 01स्था०- 34 / 2010-853 / वि०स०, राँची, दिनांक- 04 मार्च,
2014 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को आगामी
राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ सभा
सचिवालय के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

03.03.14

(नन्दलाल प्रसाद),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 03 जून, 2016 ई०।

संख्या -01 स्था०-09/2014 1366/वि०स० । सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि छठे वेतन पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभाग के संकल्प संख्या - 660/वि., दिनांक-28 फरवरी, 2009 को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में अंगीकृत किये जाने संबंधी कार्यालयादेश संख्या-49, दिनांक-28.03.2009 के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-2055, दिनांक - 18.06.2009 द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसरण में पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर गठित वेतन पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन तथा वित्त विभाग के पत्रांक-367 दिनांक-05.02.2014 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक - 26.02.2014 को पदवर्ग समिति द्वारा झारखण्ड विधान-सभा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए छठे वेतनमान संरचना में अनुमान्य वेतनमान एवं ग्रेड-पे के निमित्त की गई अनुशंसा (सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-852, दिनांक - 04.03.2014) के आलोक में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक - 1575/वि., दिनांक - 26.05.2016 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार सभा सचिवालय के विभिन्न पदों के निमित्त निम्नांकित वेतनमान एवं ग्रेड पे को दिनांक - 01.01.2006 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है : -

झारखण्ड विधान सभा

संवर्ग	क्र.	पदनाम	पंचम पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में स्वीकृत वेतनमान	छठे पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में औपबधिक रूप से स्वीकृत वेतनमान (पे बैण्ड एवं ग्रेड पे)	झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के स्वीकृत पदों के निमित्त योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त दिनांक - 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान (पे बैण्ड एवं ग्रेड पे)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
सहायक संवर्ग	1	सचिव	18400-22400	37400-67000 ग्रेड पे रु. 10000		सचिव, विधानसभा की नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु नई नियमावली बनाने पर भी सभा सचिवालय सहमत। राज्य सचिवालय में सहायक संवर्ग के प्रोन्नति पदसोपान संयुक्त सचिव तक ही सीमित रहने के कारण वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक - 01.01.2006 के प्रभाव से सभी पूर्व पदधारकों के लिए भी ग्रेड पे-8700 रु. अनुमान्य।
	2	विशेष सचिव	18400-22400	37400-67000 ग्रेड पे रु. 10000	-	सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 3849, दिनांक - 23.10.2013 द्वारा विशेष सचिव के तीन पद समाप्त किए गए हैं।

						राज्य सचिवालय में सहायक संवर्ग के प्रोन्नति पदसौपान संयुक्त सचिव तक ही सीमित रहने के कारण वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से सभी पूर्व पदधारकों के लिए भी ग्रेड पे-8700 रु अनुमान्य।
3.	अपर सचिव	16400-20000	37400-67000 ग्रेड पे रु. 8900	37400-67000 ग्रेड पे रु. 8700		सचिव हेतु नियमावली अधिसूचित होने एवं पदस्थापन होने तक अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी अपने ही वेतनमान/ ग्रेड पे में प्रभारी सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अपर सचिव के कुल स्वीकृत 12 पदों में से रिक्त छः पद तत्काल समाप्त। शेष पदों पर कार्यरत पदाधिकारी की सेवानिवृति के उपरान्त पद स्वतः समाप्त। राज्य सचिवालय में सहायक संवर्ग के प्रोन्नति पदसौपान संयुक्त सचिव तक ही सीमित रहने के कारण वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक - 01.01.2006 के प्रभाव से सभी पूर्व पदधारकों के लिए भी ग्रेड पे-8700 रु अनुमान्य।
4.	संयुक्त सचिव	14300-18300	37400-67000 ग्रेड पे रु. 8700	37400-67000 ग्रेड पे रु. 8700		

झारखण्ड विधान सभा

	5.	उप सचिव	12000-16500	15600-39100 ग्रेड पे रु. 7600	15600-39100 ग्रेड पे रु. 7600	
	6.	अवर सचिव	10000-15200	15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600	15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600	
	7.	प्रशाखा पदाधि-कारी	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4800	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4800	
	8.	सहायक	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4600	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4600	
प्रतिवेदक संवर्ग	9.	मुख्य प्रतिवेदक	14300-18300	37400-67000 ग्रेड पे रु. 8700	15600-39100 ग्रेड पे रु. 7600	पूर्व पदधारकों के लिए भी ग्रेड पे 7600 रु. अनुमान्य।
	10.	निदेशक (प्रतिवेदक)	14300-18300	37400-67000 ग्रेड पे रु. 8700	15600-39100 ग्रेड पे रु. 7600	वर्तमान पदधारी की सेवा निवृत्ति के उपरान्त निदेशक (प्रतिवेदक) का पद स्वतः समाप्त
	11.	उप मुख्य प्रतिवेदक	12000-16500	15600-39100 ग्रेड पे रु. 7600	पद समाप्त।	उप मुख्य प्रतिवेदक के दो पद तत्काल प्रभाव से समाप्त।
	12.	वरीय प्रतिवेदक	10000-15200	15600-39100 ग्रेड पे रु. 4600	15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600	
	13.	प्रतिवेदक	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4600	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4800	
	14.	कार्यवाही सहायक	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4200	पद रिक्त
निजी सहायक संवर्ग	15.	आप्त सचिव	10000-15200	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4800	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4800	
	16.	निजी सहायक	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4600	9300-34800 ग्रेड पे रु. 4600	
	17.	आशु-लिपिक	पद का सृजन 2014 में किया गया है।	5200-20200 ग्रेड पे रु. 2400	5200-20200 ग्रेड पे रु. 2400	

झारखण्ड विधान सभा

सुरक्षा संवर्ग	18.	चीफ मार्शल	10000-15200	15600-39100 ग्रेड पे रू. 6600	—	
	19.	मार्शल	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	प्रोन्नति के पदसोपान में उच्चतर ग्रेड पे।
	20.	सहायक मार्शल	5000-8000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	
	21.	सुरक्षा प्रहरी (पुरुष)	3050-4590	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1900	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1900	
सुरक्षा संवर्ग (महिला)	22.	महिला सहायक मार्शल	पद का सृजन 04.03.2014 को किया गया	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	
	23.	प्रधान महिला सुरक्षा प्रहरी	4000-6000	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	दिनांक - 04.03.2014 से यह पद महिला सहायक मार्शल में उत्क्रमित
	24.	सुरक्षा प्रहरी (महिला)	3050-4590	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1900	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1900	
चर्या लिपिक संवर्ग	25.	मुख्य अधीक्षक	12000-15200	15600-39100 ग्रेड पे रू. 7600		एकमात्र पद तत्काल समाप्त। वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक - 01.01.2006 के प्रभाव से सभी पूर्व पदधारकों के लिए भी ग्रेड पे-4800 रू. अनुमान्य।
	26.	उप मुख्य अधीक्षक	10000-15200	15600-39100 ग्रेड पे रू. 6600	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4800	वर्तमान पदधारक की सेवा निवृत्ति के उपरान्त उप मुख्य अधीक्षक (प्रिपण) का एक पद स्वतः समाप्त। शेष एक रिक्त पद तत्काल समाप्त।
	27.	अधीक्षक	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	प्रोन्नति के पदसोपान में उच्चतर ग्रेड पे।

झारखण्ड विधान सभा

	28.	उपाधीक्षक	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	
	29.	चयूर्या लिपिक	4000-6000	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	
टंकण संवर्ग	30.	मुख्य अधीक्षक	12000-15200	15600-39100 ग्रेड पे रू. 7600		एकमात्र पद तत्काल समाप्त। वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक - 01.01. 2006 के प्रभाव से सभी पूर्व पदधारकों के लिए भी ग्रेड पे-4800 रु. अनुमान्य।
	31.	उप मुख्य अधीक्षक	10000-15200	15600-39100 ग्रेड पे रू. 6600	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4800	वर्तमान दो पदधारकों की सेवानिवृति के उपरान्त उप मुख्य अधीक्षक (टंकण) का दो पद स्वतः समाप्त। शेष रिक्त दो पद तत्काल समाप्त।
	32.	अधीक्षक	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	बिहार विधान-सभा के अधीक्षक (टंकण) पद के समतुल्य प्रोन्नति के पदसोपान में उच्चतर ग्रेड पे।
	33.	प्रधान टंकक	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	
	34.	टंकक	4000-6000	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	
उर्दू टंकण संवर्ग	35.	उर्दू अधीक्षक (टंकक)	पद का सृजन 2014 में किया गया है।	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	
	36.	प्रधान उर्दू टंकक	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	
	37.	उर्दू टंकक	4000-6000	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	

झारखण्ड विधान सभा

पुस्तकालय संवर्ग	38.	मुख्य अधीक्षक	12000—15200	15600—39100 ग्रेड पे रू. 7600	15600—39100 ग्रेड पे रू. 6600	वर्तमान पदधारक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त मुख्य अधीक्षक का एकमात्र पद स्वतः समाप्त। वित्त विभाग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक - 01.01.2006 के प्रभाव से सभी पूर्व पदधारकों के लिए भी ग्रेड पे - 6600 रू. अनुमान्य।
	39.	उप मुख्य अधीक्षक	10000—15200	15600—39100 ग्रेड पे रू. 6600		तत्काल प्रभाव से पद समाप्त।
	40.	अधीक्षक	6500—10500	9300—34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300—34800 ग्रेड पे रू. 4800	लोक सभा/राज्य सभा के समतुल्य शोध सहायक पद के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने पर अधीक्षक पद का ग्रेड पे - 4800 रू. अन्यथा 4600 रू. अनुमान्य।
	41.	शोध सहायक सह सूचीकार	5500—9000	9300—34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300—34800 ग्रेड पे रू. 4600	लोक सभा/राज्य सभा के समतुल्य शोध सहायक सह सूचीकार पद के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने पर शोध सहायक सह सूचीकार पद का ग्रेड पे - 4600 रू. अन्यथा 4200 रू. अनुमान्य।
	42.	पुस्तकालय अनुचर	2610—3540	4440—7440 ग्रेड पे रू. 1400	5200—20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440—7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	
जन सम्पर्क संवर्ग	43	प्रधान जन सम्पर्क अधिकारी	पद का सृजन 2014 में किया गया है।	15600—39100 ग्रेड पे रू. 7600		यह पद जनसम्पर्क अधिकारी में समायोजित एवं समायोजन की तिथि से समाप्त।

झारखण्ड विधान सभा

	44.	जन सम्पर्क अधिकारी	6500-10500	15600-39100 ग्रेड पे रू. 6600	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4800	
	45.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	ग्रेड पे रू. 4200	
प्रकाशन संवर्ग	46.	वाद - विवाद सम्पादक	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	ग्रेड पे रू. 4200	
	47.	प्रकाशन सहायक	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	ग्रेड पे रू. 2400	
	48.	प्रूफ रीडर	4000-6000	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
अवधायक संवर्ग	49.	प्रधान मुख्य पर्यवेक्षक	दिनांक - 04.03.2008 से पद सृजित	15600-39100 ग्रेड पे रू. 7600		तत्काल प्रभाव से पद समाप्त
	50.	मुख्य पर्यवेक्षक	10000-15200	15600-39100 ग्रेड पे रू. 6600		तत्काल प्रभाव से पद समाप्त
	51.	पर्यवेक्षक	6500-10500	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	ग्रेड पे रू. 4600	प्रोन्नति के पद सोपान में उच्चतर ग्रेड पे
	52.	अवधायक	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	ग्रेड पे रू. 4200	
	53.	सहायक अवधायक	4000-6000	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
	54.	दरबान	2550-3200	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	राज्य सरकार के समूह घ के अनुरूप।
	55.	फर्शाश	2550-3200	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	

झारखण्ड विधान सभा

	56.	मेहतर	2550-3200	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	
चालक संवर्ग	57.	वरीय वाहन पर्यवेक्षक	25.08.2006 को पद सृजित	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	
	58.	वाहन पर्यवेक्षक	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	
	59.	चालक	3050-4590	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1900	ग्रेड पे रू. 1900	
	60.	खलासी	2550-3200	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)		खलासी के चार पद तत्काल समाप्त।
उद्यान शाखा संवर्ग	61.	उप मुख्य उद्यान पर्यवेक्षक	04.03.2008 को पद सृजित।	15600-39100 ग्रेड पे रू. 6600		एकमात्र पद तत्काल समाप्त।
	62.	पर्यवेक्षक (उद्यान)	5500-9000	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	ग्रेड पे रू. 4200 ग्रेड पे रू. 2800	वर्तमान में उप मुख्य उद्यान पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत पदधारी का पर्यवेक्षक (उद्यान) के रिक्त पद पर समायोजन। शैक्षणिक योग्यता स्नातक (कृषि) एवं स्नातक (वाणिज्य) धारित करने पर ग्रेड पे-4200 अन्यथा ग्रेड पे-2800 अनुमान्य।
	63.	माली	2550-3200	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	

झारखण्ड विधान सभा

उर्दू शाखा संवर्ग	64.	प्रशाखा पदाधिकारी (उर्दू)	04.03.2008 को पद सृजित	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	ग्रेड पे रू. 4600	राज्य सरकार के अनुरूप प्रोन्नति के पद सोपान में उच्चतर ग्रेड पे।
	65.	उर्दू सहायक	04.03.2008 को पद सृजित।	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	
	66.	उर्दू अनुवादक	04.03.2008 को पद सृजित।	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	
	67.	उर्दू चयर्षा लिपिक	04.03.2008 को पद सृजित।	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
	68.	अनुसेवक उर्दू	04.03.2008 को पद सृजित।	4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	
	69.	कम्प्युटर ऑपरेटर उर्दू	04.03.2008 को पद सृजित।	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
कम्प्युटर ऑपरेटर शाखा	70	कम्प्युटर ऑपरेटर	04.03.2008 को पद सृजित।	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
विपत्र लिपिक संवर्ग	71.	वरीय विपत्र लिपिक	पद का सृजन 2013 में किया गया है।	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4200	ग्रेड पे रू. 4200	
	72.	विपत्र लिपिक		4000-6000 5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
	73.	ध्वनि नियंत्रक		4000-6000 5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
	74.	गेस्टेटनर ऑपरेटर		4000-6000 5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
	75.	फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर		4000-6000 5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	

झारखण्ड विधान सभा

	76.	फैक्स ऑपरेटर	4000-6000	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
ट्रेजरी सरकार संवर्ग	77.	बरीय ट्रेजरी सरकार	25.08.2006 को पद सृजित	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	ग्रेड पे रू. 2400	
	78.	ट्रेजरी सरकार	2750-4400	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक)	
	79.	दफ्तरी	2610-3540	4440-7440 ग्रेड पे रू. 1400	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक)	
	80.	अभिलेख-वाह	2650-4000	4440-7440 ग्रेड पे रू. 1400	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक)	
	81.	जमादार	2610-3540	4440-7440 ग्रेड पे रू. 1400	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक)	विशेष परिस्थिति में वर्तमान दोनों पदधारकों को ग्रेड पे-1800 रू. अनुमान्य। भविष्य में जमादार पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण।
	82.	अनुसेवक	2550-3200	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	राज्य सरकार के समूह 'घ' के अनुरूप।
	83.	निजी सहायक (बाह्य कोटा)	-	5200-20200 ग्रेड पे रू. 2400	9300-34800 ग्रेड पे रू. 4600	शैक्षणिक योग्यता स्नातक होने पर सचिवालय संवर्ग के सहायक/निजी सहायक के अनुरूप।
	84.	अनुसेवक/आदेश-वाहक (बाह्य कोटा)	-	4440-7440 ग्रेड पे रू. 1300	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	राज्य सरकार के समूह 'घ' के अनुरूप।

झारखण्ड विधान सभा

85.	कुक	पद का सृजन 2013 में किया गया है।	4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650	5200-20200 ग्रेड पे रू. 1800 (मैट्रिक) 4440-7440 ग्रेड पे रू. 1650 (ननमैट्रिक)	राज्य सरकार के समूह 'घ' के अनुरूप।
-----	-----	----------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------

2. झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मियों का पुनरीक्षित वेतनमान झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गयी अनियमितता की जाँच हेतु गठित जाँच आयोग के जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगी।
3. उपर्युक्त वेतनमान/ग्रेड वेतन दिनांक-01.01.2006 से प्रभावी होगा, परन्तु झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि के पूर्व औपबंधिक रूप से पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कतिपय कर्मियों को अधिक वेतन भुगतान होने की स्थिति में उसकी वसूली नहीं की जाएगी।
4. पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660/वि. दिनांक -28.02.2009 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों, परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।
5. झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम - 3(ii), 7 (i), 8 (i) एवं (ii) के तहत पदवर्ग समिति के गठन के उपरान्त संशोधन संबंधी अनुशंसा की प्रत्याशा में झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के नियम-16, 17 एवं 18 के आलोक में माननीय अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त है।
6. यह संशोधन झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 का अंग होगा।
7. यह अधिसूचना दिनांक - 01 जून, 2016 के प्रभाव से लागू होगा।
माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

ह०/-

03.06.2016

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं० - 01 स्था०-09 / 2014-1367 / वि० सं०, राँची, दिनांक 03 जून, 2016 ई०।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट-हिन्डू, राँची / योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.06.2016

(मिथिलेश कुमार मिश्र),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं० - 01 स्था०-09 / 2014-1367 / वि० सं०, राँची, दिनांक 03 जून, 2016 ई०।

प्रतिलिपि :- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग / मंत्रिमण्डल (निगरानी) तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (संसदीय कार्य सहित), झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.06.2016

(मिथिलेश कुमार मिश्र),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं० - 01 स्था०-09 / 2014-1367 / वि० सं०, राँची, दिनांक 03 जून, 2016 ई०।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.06.2016

(मिथिलेश कुमार मिश्र),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं० - 01 स्था०-09 / 2014-1367 / वि० सं०, राँची, दिनांक 03 जून, 2016 ई०।

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा / स्थापन शाखा (10 प्रतियों में) झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.06.2016

(मिथिलेश कुमार मिश्र),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं० - 01 स्था०-09 / 2014-1367 / वि० सं०, राँची, दिनांक 03 जून, 2016 ई०।

प्रतिलिपि :- सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों / कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

03.06.2016

(मिथिलेश कुमार मिश्र),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं० - 01 स्था०-09 / 2014-1367 / वि० सं०, राँची, दिनांक-03 जून, 2016 ई०।

प्रतिलिपि :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कोषांग एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

03.06.2016

(मिथिलेश कुमार मिश्र),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं० - 01 स्था०-09 / 2014-1367 / वि० सं०, रौंघी, दिनांक 03 जून
2016 ई०।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झोरखंडा, रौंघी को आगामी
राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अभिसूचना की 50 (पचास) प्रतियाँ सभा
सचिवालय के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

03.06.2016

(मिथिलेश कुमार मिश्र),

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, रौंघी।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 20/07/2016

संख्या-01 स्था०-09/2014-1767/वि०स०। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या - 01 स्था०-09/2014-1366, दिनांक - 03.06.2016 के सुरक्षा संवर्ग क्रम सं. - 18 के कॉलम-07 (अभियुक्ति) में "वर्तमान में पद रिक्त है। बैठक में रिक्त पद पर सेना अथवा पुलिस प्रशासन के रिटायर्ड अधिकारी को सिर्फ बाह्य स्रोत अथवा संविदा के आधार पर ही नियुक्त करने को सभा सचिवालय का प्रस्ताव है" अंकित किया जाता है।

(ii) पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-01 स्था-09/2014-1366, दिनांक-03.06.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

ह०/-

19.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-01 स्था०-09/2014-1768/वि.स. राँची, दिनांक - 20/07/2016
प्रति :- महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट-हिन्, राँची/योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

19.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक-01 स्था०-09/2014-1768/वि.स. राँची, दिनांक - 20/07/2016
प्रति :- कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/मंत्रिमंडल (निगरानी) तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (संसदीय

कार्य सहित), झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

19.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक—01 स्था०—09 / 2014—1768 / वि.स. राँची, दिनांक — 20 / 07 / 2016
प्रति: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा,
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

19.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक—01 स्था०—09 / 2014—1768 / वि.स. राँची, दिनांक — 20 / 07 / 2016
प्रति :- सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी / कर्मचारी एवं निजी
सहायक, अनुसेवक / आदेशवाहक (बाह्य कोटा) को सूचनार्थ,
प्रेषित / लेखा शाखा एवं स्थापन शाखा (05 प्रति में) सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

19.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक—01 स्था०—09 / 2014—1768 / वि.स. राँची, दिनांक — 20 / 07 / 2016
प्रति :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को
क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

19.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 26/07/2016

संख्या-01स्था०-09/2014-1849/वि.स.। सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-1366, दिनांक-03.06.2016 के क्रम सं.-83 निजी सहायक (बाह्य कोटा) एवं क्रम सं.-84 अनुसेवक/आदेशवाहक (वाह्य कोटा) के कॉलम-6 में स्वीकृत वेतनमान् एवं ग्रेड पे के साथ आवास भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा दिनांक - 01.06.2016 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

(ii) पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1366, दिनांक-03.06.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

ह०/-

26.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या - 01 स्था०-09/2014-1850 वि. स., राँची, दिनांक-26.07.2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पोस्ट हिन्डू, राँची/योजना सह वित्त विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/मंत्रिमण्डल (निगरानी) तथा मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग (संसदीय कार्य सहित) झारखण्ड सरकार राँची एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

26.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झारखण्ड विधान सभा

ज्ञाप संख्या - 01 स्था०-09 / 2014-1850 वि. स. राँची, दिनांक-26.07.2016
प्रतिलिपि :- सभा सचिवालय के सभी पदा./कर्म./निजी सहायक एवं
अनुसेवक (बाह्य कोटा) लेखा शाखा एवं स्थापन शाखा (02 प्रति में)
झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

26.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या - 01 स्था०-09 / 2014-1850 वि. स. राँची, दिनांक-26.07.2016
प्रतिलिपि :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवालय कार्यालय
को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनाार्थ
प्रेषित।

ह०/-

26.07.2016

(नवीन कुमार),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 21/09/2016

संख्या-01 स्था० 09/14 - 2297/वि. स.। एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-01 स्था० 09/2014 - 1366, दिनांक-03.06.16 के क्रम संख्या-42 पुस्तकालय अनुचर, 78-ट्रेजरी सरकार, 79-दफ्तरी, 80-अभिलेखवाह एवं 81-जमादार के सम्मुख कॉलम-7 (अभ्युक्ति) में "राज्य सरकार के समूह 'घ' के अनुरूप" अंकित किया जाता है।

(11) उक्त पदधारकों का पदनाम बना रहेगा, किन्तु आवश्यकतानुसार सभा सचिवालय इन कर्मियों को समूह 'घ' के किसी अन्य पद पर समायोजन कर कार्य ले सकेगी।

(111) पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-01 स्था-09/2014-1366, दिनांक-03.06.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

ह०/-

21.09.2016

(हरेन्द्र कुमार साह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या -01 स्था-09/2014-2298/वि. स., राँची, दिनांक-21/09/16

प्रति :- महालेखाकार, झारखण्ड पो०- हिनू, राँची/योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

21.09.2016

(हरेन्द्र कुमार साह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या -01 स्था-09 / 2014-2298 / वि. स., राँची, दिनांक-21 / 09 / 16

प्रति :- कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग / मंत्रिमंडल (निगरानी) तथा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (संसदीय कार्य सहित) झारखण्ड सरकार राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

21.09.2016

(हरेन्द्र कुमार साह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या -01 स्था-09 / 2014-2298 / वि. स., राँची, दिनांक-21 / 09 / 16

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस डोरण्डा राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

21.09.2016

(हरेन्द्र कुमार साह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या -01 स्था-09 / 2014-2298 / वि. स., राँची, दिनांक-21 / 09 / 16

प्रति :- सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारी / कर्मचारी, ट्रेजरी सरकार / पुस्तकालय अनुचर / दफ्तरी / अभिलेखवाह / जमादार /

लेखा शाखा एवं स्थापन शाखा पाँच प्रति में झा. विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

21.09.2016

(हरेन्द्र कुमार साह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या—01 स्था—09 / 2014—2298 / वि. स., राँची, दिनांक—21 / 09 / 16

प्रति :— आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

21.09.2016

(हरेन्द्र कुमार साह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या—01 स्था—09 / 2014—2298 / वि. स., राँची, दिनांक—21 / 09 / 16

प्रति : अधीक्षक, मुद्रणालय, डोरण्डा राँची को आगामी राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की पचास प्रतियाँ सभा सचिवालय के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/—

21.09.2016

(हरेन्द्र कुमार साह),

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।



सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

(भर्ती एवं सेवा शर्तें)

संशोधित नियमावली, 2017

(समय-समय पर अनुसूचि में संशोधन के साथ)

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय,

राँची द्वारा प्रकाशित ।

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 19.04.2017

संख्या-01स्था0-03 / 2017-910 / वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद् द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-187 के खण्ड-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीया राज्यपाल, झारखण्ड, माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के परामर्श से झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 का संशोधन करते हुए संलग्न नियमावली" झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधित नियमावली, 2017 बनायी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह० /

19.04.17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-01स्था0-03 / 2017- 911 / वि०स०, राँची / दिनांक-19.04.2017

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, अपर मुख्य सचिव, योजना सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राँची / प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (संसदीय कार्य) एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /

19.04.17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-01स्था0-03/2017- 911 / वि०स०, राँची, दिनांक- 19.04.2017

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरंडा, राँची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2017 की प्रति के साथ राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि नियमावली की 500 प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० /

19.04.2017

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड, माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के परामर्श से झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2003 में निम्नांकित संशोधन करते हैं -

1. संक्षिप्त नाम :-

- (i) यह नियमावली झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली 2017 कहलाएगी।
- (ii) यह नियमावली झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएँ:- इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो

- (i) "संविधान" से तात्पर्य है भारत का संविधान,
- (ii) "वित्त मंत्रालय" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का योजना सह वित्त विभाग,
- (iii) "पदाधिकारी" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा के कर्मचारीवृन्द
- (iv) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस नियमावली में संलग्न अनुसूची,
- (v) "अध्यक्ष" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा अध्यक्ष,
- (vi) "सचिव" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा सचिव या इस पद के दायित्वों का निर्वाह कर रहा पदाधिकारी,
- (vii) "सचिवालय" से तात्पर्य है झारखण्ड विधान-सभा का सचिवालय,
- (viii) "समूह-क, समूह-ख, समूह-ग एवं समूह-घ के पदाधिकारी से" से तात्पर्य है अनुसूची में यथा निर्दिष्ट समूह-क, समूह-ख, समूह-ग एवं समूह-घ का पद धारण करने वाला कोई पदाधिकारी,

- (ix) "पदवर्ग समिति" से तात्पर्य है सभा सचिवालय के कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं सम्बन्धी निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा गठित समिति,
- (x) "सभा सचिवालय नियुक्ति समिति" से तात्पर्य है सभा सचिवालय में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु गठित समिति,
- (xi) "सीमित प्रतियोगिता परीक्षा" से तात्पर्य है सभा सचिवालय में कार्यरत समूह-घ के कर्मचारियों की समूह-ग में प्रोन्नति तथा समूह-ग के कर्मचारियों का समूह-ग के, अन्य पदों में प्रोन्नति हेतु ली जाने वाली परीक्षा,
- (xii) "विभागीय परीक्षा" से तात्पर्य है सहायक संवर्ग में सहायक के पद से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु परीक्षा
- (xiii) "वित्तीय समितियों" से तात्पर्य है विधान-सभा की प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति।

3. सभा सचिवालय में पद संख्या और उसका गठन :-

भारत के संविधान का अनुच्छेद 187 के अनुसरण में झारखण्ड विधान-सभा का एक सचिवालय होगा, जिसमें-

- (i) उतने स्थायी तथा अस्थायी पद होंगे जो अनुसूची में दर्शाए गए हैं,
- (ii) अध्यक्ष, समय-समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या बढ़ाकर या घटा कर अथवा पद या पदों की कोई नयी कोटि जोड़कर उक्त अनुसूची का संशोधन कर सकेंगे, परन्तु अध्यक्ष, पद वर्ग समिति की अनुशंसा के बिना अनुसूची में कोई संशोधन नहीं करेंगे।

4. भर्ती की पद्धति :-

- (i) किसी पद या पदों की किसी श्रेणी में निम्न किसी भी पद्धति से भर्ती की जा सकेगी-

- (क) सचिवालय में नियोजित व्यक्ति की प्रोन्नति द्वारा ,
 (ख) सीधी भर्ती द्वारा,

(ii) अध्यक्ष, समय-समय पर आदेश द्वारा

(क) किसी पद पर या पदों को किसी श्रेणी में भर्ती की पद्धति या पद्धतियाँ विनिर्दिष्ट कर सकेंगे, परन्तु अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे आवश्यकतानुसार सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अथवा चयन प्रक्रिया के किसी अंश को झारखण्ड लोक सेवा आयोग / झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / किसी बाह्य एजेंसी से सम्पादित करा सकेंगे।

(ख) हर पद्धति से भरी जानेवाली रिक्तियों का अनुपात अनुसूची के अनुरूप अवधारित कर सकेंगे,

(ग) विलोपित

(घ) राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप कर्मचारीवृन्द को न्यूनतम कालावधि पूरी करने पर प्रोन्नति के पात्र होंगे।

5. नियुक्ति तथा प्रोन्नति हेतु परीक्षा :-

(i) अनुसूची में यथानिर्दिष्ट पदों पर सीधी नियुक्तियाँ सभा सचिवालय नियुक्ति समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष करेंगे, सभा- सचिवालय नियुक्ति समिति का गठन अध्यक्ष करेंगे तथा सभा सचिवालय कर्मचारीवृन्द से समिति के सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा तथा इस समिति में सभापति सहित अधिकतम पाँच सदस्य होंगे, सभा सचिव उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

(ii) (क) सहायक एवं निजी सहायक के पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित्त आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा हेतु सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विषय निम्न होंगे:-

- (i) प्रारंभिक परीक्षा:-01. सामान्य अध्ययन, 02. सामान्य विज्ञान एवं गणित, 03. मानसिक क्षमता जाँच, 04. कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान
- (ii) मुख्य परीक्षा:- पत्र 01.- हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान पत्र 02.- सामान्य ज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जाँच एवं कम्प्यूटर के मूल ज्ञान
- (ख) निजी सहायक के पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा निम्नलिखित रूप में आयोजित की जायेगी:-

आशुलेखन जाँच हेतु 320 शब्दों को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक श्रुतिलेख दिया जायेगा। इसके पूर्व एक मिनट का समय डिक्टेसन जाँच हेतु दिया जायेगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकण आरंभ करने के पूर्व 02 मिनट का समय श्रुतिलेख पढ़ने के लिए दिया जायेगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

- (ग) सभा सचिवालय में उपाधीक्षक, चर्यालिपिक, प्रधान टंकक, टंकक, उर्दू अधीक्षक (टंकक), प्रधान उर्दू टंकक, उर्दू टंकक, उर्दू चर्यालिपिक, वरीय विपत्र लिपिक एवं विपत्र लिपिक का पद धारण करने वाले सभी कर्मचारीवृन्द का पचास प्रतिशत निम्नवर्गीय लिपिक का तथा शेष पचास प्रतिशत पद उच्चवर्गीय लिपिक का पद समझे जायेंगे, जब तक कि उच्चवर्गीय लिपिक की अधिशेष संख्या के कर्मियों की सेवानिवृति या प्रोन्नति न हो जाय। सेवा के स्वीकृत बल के पचास प्रतिशत से कम होने तक उच्चवर्गीय लिपिक में प्रोन्नति नहीं दी जायगी।

(घ) लिपिक संवर्ग की आपसी वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप किया जायगा।

(ङ) निम्नवर्गीय लिपिक एवं अन्य समूह-ग के पदों पर सीधी नियुक्ति के निमित्त आयोजित होने वाली सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विषय निम्न होंगे:-

01. हिन्दी, 02. सामान्य ज्ञान, 03. गणित एवं कम्प्यूटर टंकण जाँच परीक्षा

(iii) 01. निम्नवर्गीय लिपिक के 50 प्रतिशत पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले समूह 'घ' से भरे जायेंगे।

02. निम्नवर्गीय लिपिक की वरीयता सह योग्यता सूची के आधार पर उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिनकी सेवा सम्पुष्ट हो तथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं कालावधि पूरा कर चुके हों।

03. (i) निम्नवर्गीय लिपिक में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी, कम्प्यूटर ज्ञान एवं हिन्दी टाईपिंग में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टाईपिंग में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति अनिवार्य अहर्ता होगी।

(ii) निम्नवर्गीय लिपिक के 50 प्रतिशत पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का विषय निम्न होंगे:-

01. सामान्य हिन्दी, 02. सामान्य ज्ञान, 03. गणित

04. सुरक्षा प्रहरी (पुरुष एवं महिला) के 50 प्रतिशत पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता परीक्षा के आधार पर स्नातक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले समूह 'घ' से भरे जायेंगे।

05. (i) सहायक के 50 प्रतिशत पदों पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुकने वाले स्नातक योग्यताधारी से भरे जायेंगे एवं संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध पूर्व से संसूचित कोई दण्ड प्रभावी न हो।

(ii) सहायक के 50 प्रतिशत पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का विषय निम्न होंगे:-

01. हिन्दी भाषा का ज्ञान, 02. अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, 03. सामान्य अध्ययन, 04. सामान्य विज्ञान, 05. गणित, 06. मानसिक क्षमता जाँच, 7. कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान

(च) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अहर्ता 40 प्रतिशत होगी।

(छ) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा चयनित कर्मचारियों की वरीयता प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायगी।

(iv) विभागीय परीक्षा - सहायक संवर्ग के सहायक के पद से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सभा सचिवालय द्वारा वर्ष में दो बार विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना साधारणतः कोई भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति पाने का हकदार नहीं होगा।

परीक्षा के विषय निम्न होंगे :-

प्रथम पत्र - झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली, झारखण्ड सेवा संहिता, पेंशन रूल्स, कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली।

द्वितीय पत्र - हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण।

तृतीय पत्र - भारत का संविधान, झारखण्ड विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम, सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमावली, सदस्यों के वेतन एवं भत्ता नियमावली। प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 होगा तथा उत्तीर्णांक प्रत्येक पत्र में पृथक-पृथक 40 अंक का होगा।

परिवीक्षा :-

6.

समूह-क के अतिरिक्त किसी भी श्रेणी में किसी स्थायी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्षों तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

परन्तु अध्यक्ष, आदेश द्वारा यथेष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश से विनिर्दिष्ट किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि घटा या बढ़ा सकेंगे, परन्तु यह और भी कि सभा सचिवालय के किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति की सम्पुष्टि अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा द्वारा की जाएगी।

7.

वेतन एवं भत्ते :-

(i) सचिवालय के प्रत्येक पद का वेतनमान वही होगा जो अनुसूची में प्रत्येक के समक्ष दिया गया है। इन पदों को धारण करनेवाले ऐसे अन्य भत्तों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार असैनिक सचिवालय के विभागों में काम करने वाले समरूप पंक्ति के कर्मचारियों को समय समय पर मंजूर करें।

परन्तु झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मियों का वेतन तथा अनुषांगिक भत्ते तथा विधायी कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक अन्य सुविधाओं का निर्णय "पद वर्ग समिति" द्वारा किया जाएगा।

"पद वर्ग समिति" अध्यक्ष के आदेश से गठित की जाएगी, जिसमें सभापति सहित अधिकतम 9 सदस्य होंगे। झारखण्ड सरकार के वित्त मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विधान-सभा की किसी भी एक वित्तीय समिति के सभापति, विधान-सभा के सचिव, सभा सचिवालय की प्रशासनिक शाखा के एक पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा सचिवालय कर्मचारीवृन्द में से एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। सभापति सहित समस्त सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। पद वर्ग समिति की उन अनुशंसाओं जिनसे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध बजट में निहित राशि के अतिरिक्त राशि के व्यय की स्थिति हो, के कार्यान्वयन तथा

आवश्यक बजटीय उपबन्ध के लिए राज्य सरकार के वित्त मंत्रालय को अध्यक्ष के आदेश से भेज दिया जाएगा। अन्य अनुशासकों का कार्यान्वयन अध्यक्ष के आदेश से भेज दिया जाएगा। अन्य अनुशासकों का कार्यान्वयन अध्यक्ष के आदेश से सभा सचिवालय द्वारा किया जाएगा।

(ii) विलोपित

(iii) सभा सचिवालय के कर्मचारीवृन्द को प्रतिमाह विधायी भत्ता के रूप में निम्न वर्गीकरण के आधार पर वेतन मद में विधायी भत्ता अनुमान्य होंगे:-

समूह	क	-	3,000 रु०
समूह	ख	-	2,500 रु०
समूह	ग	-	2,000 रु०
समूह	घ	-	1,000 रु०

विधायी भत्ता से प्राप्त राशि आयकर के दायरे में होगी। क्षतिपूर्क अवकाश देय नहीं होगा। समय-समय पर वेतन पुनरीक्षण होने पर अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष आदेश से वर्णित राशि पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

8. सेवा की अन्य शर्तें :-

- (i) इस नियमावली में उल्लिखित सेवा शर्तों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सेवा की अन्य शर्तें समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा पदवर्ग समिति की अनुशांसा पर तय की जाएगी।
- (ii) पद वर्ग समिति जब तक कोई पृथक अनुशांसा न कर दे सभा सचिवालय कर्मचारीवृन्द को वही सुविधायें उन शर्तों के अधीन प्राप्त होती रहेगी जो राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय के समरूप कर्मचारीवृन्द को उसकी सेवा शर्तों के अधीन प्राप्त होती है।
- (iii) झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान लागू है।

आपवादिक मामलों में शिथिलन :-

9. यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि किसी पदाधिकारी की सेवा शर्तों के संबंध में कोई नियम का उपबंध करने से किसी खास व्यक्तियों को अनुचित क्लेश पहुँचता हो तो वे पद वर्ग समिति से परामर्श करने तथा उनकी अनुशंसा के बाद आदेश द्वारा, किसी नियम या उपबंध की अपेक्षाओं को उस हद तक और उन शर्तों के अधीन रहते हुए अभिमुक्त या शिथिल कर सकेंगे, जो उस मामले को उचित और न्याय संगत ढंग से निबटाने के लिए आवश्यक समझा जाए।

10. नियंत्रण और अनुशासन :- सचिवालय के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

11. दण्ड :- किसी पदाधिकारी को, ठीक और पर्याप्त कारणों से निम्न दण्ड दिये जा सकेंगे-

- (i) निन्दन,
- (ii) वेतन वृद्धि या प्रोन्नति रोक रखना,
- (iii) निम्नतर पद पर या निम्नतर कालमान वेतन में या कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर विच्युति,
- (iv) उपेक्षा या आदेश भंग के चलते संघ या राज्य को हुई हानि का सम्पूर्ण या कोई भाग वेतन से वसूला जाना,
- (v) आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति,
- (vi) सचिवालय की सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगे कोई नियोजन पाने में अयोग्य न बनाएगा,
- (vii) सचिवालय की सेवा से बर्खास्तगी, जो साधारणतः सरकार के अधीन आगे नियोजन पाने में अयोग्य बनाएगी।
- (viii) जुर्माना।
- (ix) निलम्बन।

स्पष्टीकरण:-

- (1) यदि परिवीक्षा-काल में या उसकी समाप्ति के बाद किसी पदाधिकारी का नियोजन समाप्त कर दिया जाय, तो यह इस नियम के अधीन नियोजन से हटाया जाना या बर्खास्तगी न समझा जाएगा।
- (2) यदि किसी पदाधिकारी के मामले पर यथावत् विचार करके उसे ऐसे पद पर या कोटि (ग्रेड) में जिसमें चयन द्वारा प्रोन्नति दी जाती हो, प्रोन्नत न किया जाए, तो यह इस नियम के अन्तर्गत प्रोन्नति को रोका जाना न समझा जाएगा।
- (3) यदि किसी पदाधिकारी को, जो किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से काम कर रहा हो, उच्चतर पद पर उसका काम देखने के बाद या प्रशासनिक कारणों से (जैसे उक्त पद के स्थायी धारी के छुट्टी या प्रतिनियुक्ति से लौटने और उपयुक्त पदाधिकारी उपलब्ध होने तथा ऐसे ही कारणों) निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए, तो यह इस नियम के अन्तर्गत पंक्ति-च्युति न समझा जाएगा।
- (4) यदि किसी पदाधिकारी को (झारखण्ड सेवा-संहिता के नियम 74 के उपबन्धों के अधीन या वित्त विभाग, संकल्प संख्या-एफ0एल0-5021-62-452एफ0, दिनांक- 11 जनवरी, 1963 के अनुसार) अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाए तो इस नियम के अन्तर्गत दण्ड न समझा जाएगा।
- (5) यदि विभागीय परीक्षाएँ पास न करने के चलते किसी पदाधिकारी की वेतनवृद्धि रोक दी जाए, तो इस नियम के अर्थान्तर्गत वेतनवृद्धि का रोका जाना न समझा जाएगा।
- (6) जुर्माने का दण्ड सिर्फ समूह-घ के कर्मचारियों को ही दिया जा सकेगा।

12. दण्ड देने वाला प्राधिकारी :-

संविधान के अनुच्छेद -311 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष को उस पदाधिकारी को जिसके वे नियुक्ति प्राधिकारी हो, नियम-11 में विनिर्दिष्ट दण्ड देने की शक्ति होगी,

परन्तु अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सचिव या समूह-क या समूह-ख के किसी भी पदाधिकारी को, समूह-ग या समूह-घ के कर्मचारियों को उक्त दण्ड देने की शक्ति सौंप सकेंगे।

13. अपील :-

- (1) प्रत्येक पदाधिकारी को सचिव द्वारा मूलतः या अपील पर दिये गये किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसके द्वारा नियम-11 में विनिर्दिष्ट कोई दण्ड दिया या संपुष्ट किया गया हो, परन्तु जहाँ सचिव के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा मूलतः ऐसा आदेश दिया गया हो, वहाँ सचिव के पास ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी।
- (2) अध्यक्ष द्वारा मूलतः या अपील पर दिया गया आदेश अन्तिम होगा, परन्तु अध्यक्ष, स्वतः या आवेदन किये जाने पर इस नियम के अधीन दिये गये अपने किसी आदेश को पुनरीक्षित या विखंडित कर सकेंगे।

14. पदाधिकारियों का आचरण :-

इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक पदाधिकारी ऐसे आचरण अनुशासन और नियंत्रण सम्बन्धी नियमों से शासित होंगे जो अध्यक्ष समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे।

15. अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों का अधिप्रमाणीकरण :-

इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया और अध्यक्ष के नाम से निष्पादित कोई आदेश ऐसी रीति से अधिप्रमाणीकृत किया जाएगा, जो अध्यक्ष समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

16. कार्य-सम्पादन :-

अध्यक्ष, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रचालन से उद्भूत कार्यों के सुविधापूर्ण और कुशल संपादन के लिए

और इस प्रयोजनार्थ अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में उपबन्ध कर सकेंगे। परन्तु ऐसे आदेश में वैसे विषय वर्ग भी विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे जो आदेश निकाले जाने के पूर्व स्वयं अध्यक्ष की दृष्टि में लाए जाएंगे।

17. अवशिष्ट शक्तियाँ :-

नियम 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी विषय जिनके सम्बन्ध में इस नियमावली में विनिर्दिष्टतः उपबन्ध नहीं किये गये हों, चाहे वे इस नियमावली के उपबन्धों के आनुषांगिक या सहायक हों अथवा अन्यथा हों अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

18. निर्वचन :-

इस नियमावली के निर्वचन संबन्धी सभी प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किए जाएंगे और उन पर वे जो निर्णय देंगे वह अंतिम होगा। परन्तु नियम 3, 7, 8, 9, 17 और अनुसूची तथा नियमावली के अधीन निकाले गये किसी आदेश के निर्वचन सम्बन्धी सभी प्रश्नों का निर्णय "पद वर्ग समिति" की अनुशंसा के आलोक में अथवा अन्य विहित रीतियों से जैसा वे उचित समझें अध्यक्ष करेंगे।

19. विखण्डन और व्यावृत्ति :-

इस नियमावली में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़, इस नियमावली के समरूप और इस नियमावली के प्रारम्भ से तुरंत पहले लागू सभी नियम इसके द्वारा विखंडित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार विखंडित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली के समरूप उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी।

अनुसूचा

क्रम सं०	संकेत	वर्तमान पद	वर्तमान पद			आवश्यकता आधारित पद	मर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली के अनुरूप मर्ती की पद्धति	योग्यता	अभियुक्ति	पदों का वर्गीकरण
			वेतनमान / ग्रेड-पे स्वीकृत पद	कुल पद	कार्यरत पद					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		पे-बैण्ड / वेतनमान / ग्रेड-पे स्वीकृत पद	4	5	6	7	8	9	10	11
1		सचिव PB-4/ 37400-67000 / 10000	1	0	1	1	झारखण्ड न्यायिक सेवा के पदाधिकारी।		1. झारखण्ड न्यायिक सेवा के पदाधिकारी ग्रेड-पे 10,000 / - के पदस्थापन होने तक अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी अपने वेतनमान / ग्रेड-पे में प्रमारी सचिव के रूप में कार्य करेंगे।	समूह-क
2		अपर सचिव PB-4/ 37400-67000 / 8700	6	6	0	पद समाप्त			समा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 03.06. 2016 के आलोक में वर्तमान पदधारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात पद समाप्त	समूह-क
3		संयुक्त सचिव PB-4/ 37400-67000 / 8700	21	20	1	12	उप सचिव से प्रोन्नति		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-क
4		उप सचिव PB-3/ 15600-39100/ 7600	24	15	9	18	अवर सचिव से प्रोन्नति		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-क

अनुसूची संख्या

5	अवर सचिव PB-3/ 15600-39100/ 6600	32	75	75	0	25	प्रशाखा पदा10 से प्रोन्नति	25 पद यथावत 7 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त	समूह-क
6	प्रशाखा पदा10 PB-2 /9300-34800/ 4800	75	75	75	0	50	सहायक से प्रोन्नति	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात् क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ख
7	सहायक PB-2/ 9300-34800/ 4600	150	73	77	100	100	50% उच्चवर्गीय लिपिक से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा	100 पद यथावत 50 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त	समूह-ग
8	उच्चवर्गीय लिपिक PB-1/ 5200-20200/ 2400					45	निम्नवर्गीय लिपिक से प्रोन्नति		समूह-ग
9	निम्नवर्गीय लिपिक PB-1/ 5200-20200/ 1900					45	50% समूह घ से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा		समूह-ग

नोट :- *1 राज्यपाल सचिवालय का पत्रांक-वैद्या-126/2004-1159/रा.स. रैची, दिनांक - 13-04-2017 की कड़िका - 1

क्र.सं.	संख्या प्रतिवेदक PB-3/15600- 39100/7600	1	1	0	1	वरीय प्रतिवेदक की प्रोन्नति द्वारा	समूह-क
11	निदेशक (प्रतिवेदक) PB-3/15600- 39100/7600	1	1	0	1	पद समाप्त	समूह-क सभा सचिवालय के अधिसूचना सं0- 1366 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में वर्तमान पदधारी के सेवानिवृत्ति के उपरान्त पद स्वतः समाप्त ।
12	वरीय प्रतिवेदक PB-3/15600- 39100/6600	6	6	0	6	प्रतिवेदक से प्रोन्नति	समूह-क
13	प्रतिवेदक PB-2/9300- 34800/4800	30	23	7	23	सौधी भर्ती द्वारा	समूह-ख 23 पद यथावत 7 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त
14	कार्यवाही सहायक PB-2/9300- 34800/4200	2	0	2	2	पद समाप्त	
15	प्रधान अप्त सचिव PB-3/15600- 39100/6600				2	आप्त सचिव से प्रोन्नति द्वारा	समूह-क

कुल संख्या

16	आप्त सचिव PB-2/9300- 34800/4800	10	पद समाप्त	10	0	3	निजी सहायक से प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ख
17	वरीय निजी सहायक	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त			पद समाप्त
18	निजी सहायक PB-2/9300- 34800/4600	16	16	9	7	15	सीधी भर्ती द्वारा		समूह-ग
19	आशुलिपिक PB-1/5200- 20200/2400	20	20	0	20	पद समाप्त			
20	चीफ मार्शल PB-3/15600- 39100/6600	1	1	0	1	1		सेना अथवा पुलिस प्रशासन के रिटायर्ड अधिकारी को सिर्फ वाह्य स्रोत अथवा सविदा के आधार पर नियुक्त	समूह-क
21	मार्शल PB-2/9300- 34800/4600	8	8	6	2	2	सहायक मार्शल से प्रोन्नति	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग

संख्या	सहायक मार्शल PB-2/9300- 34800/4200	8	7	1	3	सुरक्षा प्रहरी से प्रोन्नति	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग
22								
23	सुरक्षा प्रहरी (पु0) PB-1/5200- 20200/1900	25	6	19	15	50% समूह घ से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा	15 पद यथावत 10 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त।	समूह-ग
24	महिला सहायक मार्शल PB-2/9300- 34800/4200	5	5	0	1	महिला सुरक्षा प्रहरी से प्रोन्नति	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग
25	प्रधान महिला सुरक्षा प्रहरी (म0) PB-1/5200- 20200/2400			पद समाप्त	पद समाप्त			
26	सुरक्षा प्रहरी (म0) PB-1/5200- 20200/1900	10	7	3	5	50% समूह घ से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग

(संख्या) सुरक्षा प्रहरी

27	उप मुख्य अधीन (प्रिषण) PB-2/9300-34800/4800	1	1	0				समा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में वर्तमान पदधारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पद समाप्त	समूह-ख
28	अधीक्षक PB-2/9300-34800/4600	2	2	0				वर्तमान पदधारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पद स्वतः लिपिकीय संवर्ग में समाहित	समूह-ग
29	उपाधीक्षक PB-2/9300-34800/4200	4	4	0	LDC/ UDC				
30	घर्या लिपिक PB-1/5200-20200/2400	20	16	4	LDC/ UDC				
31	उप मुख्य अधीन (टंकक) PB-2/9300-34800/4800	2	1	0	1			समा सचिवालय के अधिसूचना सं०- 1366 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में वर्तमान दो पदधारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पद स्वतः समाप्त	समूह-ख
32	अधीक्षक PB-2/9300-34800/4600	4	4	0				वर्तमान पदधारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात् पद स्वतः लिपिकीय संवर्ग में समाहित	समूह-ग
33	प्रधान टंकक PB-2/9300-34800/4200	6	6	0	LDC/ UDC				

34	टंकक PB-1/5200- 20200/2400	30	20	10	LDC/ UDC				
35	उर्दू अधीक्षक (टंकक) PB-2/9300- 34800/4200	1	1	0	LDC/ UDC				
36	प्रधान उर्दू टंकक PB-2/9300- 34800/4200	2	1	1	LDC/ UDC				
37	उर्दू टंकक PB-1/5200- 20200/2400	2	1	1	LDC/ UDC				
38	मुख्य अधी0 (पुरत0) PB-3/15600- 39100/6600	1	1	0	पद समाप्त				समूह-क समा सचिवालय के अधिसूचना सं0- 1366 दिनांक 03.06. 2016 के आलोक में वर्तमान पदधारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात पद समाप्त
39	अधीक्षक PB-2/9300- 34800/4800	2	2	0	1	शोध सहायक सह सूचीकार से प्रोन्नति	समा सचिवालय के अधि सूचना सं0- 1366 दिनांक 03.06.2016 के आलोक में लोकसभा/ राज्यसभा के समतुल्य शोध सहायक पद के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने पर अधीक्षक पद का ग्रेड पे 48000रु अथवा 4600 रु।	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे ।	समूह-ख

44	पुस्तकालय अनुषर PB-1/5200- 20200/1800 (मैट्रीक), 1S/4440- 7440/1650 (ननमैट्रीक)	4	4	0	2	सीधी भर्ती द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-घ
45	जनसम्पर्क अधिकारी PB-2/9300- 34800/4800	1	1	1	1	सीधी भर्ती द्वारा		समूह-ख
46	सहायक जन. सम्पर्क अधिकारी PB-2/9300- 34800/4200	2	0	2	पद समाप्त			
47	वाद-विवाद संपाद (प्रकाशन) PB-2/9300- 34800/4200	2	0	2	पद समाप्त			
48	प्रकाशन सहायक PB-2/9300- 34800/4200	2	1	1	पद समाप्त		कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग

49		फूफ रीडर PB-1/5200- 20200/2400	2	2	0	2	सीधी भर्ती द्वारा		समूह-ग
50	अवधायक संवत्	पर्यवेक्षक (अवधायक) PB-2/9300- 34800/4600	2	2	0	1	अवधायक से प्रोन्नति द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग
51		अवधायक PB-2/9300- 34800/4200	4	4	0	2	सहायक अवधायक से प्रोन्नति द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग
52		सहायक अवधायक PB-1/5200- 20200/2400	6	1	5	2	सीधी भर्ती द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग
53		दरबान PB-1/5200- 20200/1800 (मैट्रीक) -1S/4440- 7440/1650 (नॉनमैट्रीक)	15	15	0	10	सीधी भर्ती द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-घ

54	कराया PB-1/5200- 20200/1800 (मैट्रीक) -1S/4440- 7440/1650 (ननमैट्रीक)	35	35	0	20	सीधी भर्ती द्वारा	कार्यवाह पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की संवर्धित अथवा प्रोन्नति के पश्चात् क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ब
55	मेहतर PB-1/5200- 20200/1800 (मैट्रीक) -1S/4440- 7440/1650 (ननमैट्रीक)	35	32	3	20	सीधी भर्ती द्वारा	कार्यवाह पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की संवर्धित अथवा प्रोन्नति के पश्चात् क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-द
56	वरीय वाहन पर्यो PB-2/9300- 34800/4200	1	1	0		पद समाप्त		
57	वाहन पर्यवेक्षक PB-1/5200- 20200/2400	5	5	0		पद समाप्त		
58	चालक (कार्यालय) PB-1/5200- 20200/1900	40	40	0		पद समाप्त		
59	बालक (समिति)	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त		
60								पद समाप्त

सं. के. सं. के.

61	विशेष कोटि (चालक) PB-2/9300- 34800/4200	1	कोटि 1 से प्रोन्नति	समूह-ग
62	कोटि 1 (चालक) PB-1/5200- 20200/2400	6	कोटि 2 से प्रोन्नति	समूह-ग
63	कोटि 2 (चालक) PB-1/5200- 20200/2000	8	साधारण कोटी से प्रोन्नति	समूह-ग
64	साधारण कोटि (चालक) PB-1/5200- 20200/1900	15	सीधी भर्ती द्वारा	समूह-ग
65	पर्यवेक्षक (उद्यान) PB-2/9300- 34800/4200 PB-1/5200- 20200/2800	1 1 0 1	कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी स्नातक एवं न्यूनतम तीन वर्षों के अनुभव के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	समूह-ग

संख्या 1/1997

66	साली PB-1/5200- 20200/1800 (मैट्रीक) -1S/4440- 7440/1650 (ननमैट्रीक)	20	20	0	10	सीधी भर्ती द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-घ
67	प्रशाखा पदा0 (उर्दू) PB-2/9300- 34800/4600	1	1	0	पद समाप्त		वर्तमान पदधारी के सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतः समाप्त	समूह-ग
68	उर्दू सहायक PB-2/9300- 34800/4200	4	3	1	2	सीधी भर्ती द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की सेवानिवृत्ति अथवा प्रोन्नति के पश्चात क्रमशः आवश्यकता आधारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे।	समूह-ग
69	उर्दू अनुवादक PB-1/5200- 20200/2400	2	1	1	2	सीधी भर्ती द्वारा		समूह-ग
70	उर्दू चर्यालिपिक PB-1/5200- 20200/2400	2	1	1	LDC/ UDC			
71	अनुसेवक (उर्दू) PB-1/5200- 20200/1800 (मैट्रीक) -1S/4440- 7440/1650 (ननमैट्रीक)	1	0	1	पद समाप्त			

72		कम्प्यूटर ऑपरेटर (सद्वृ) PB-1/5200- 20200/2400	1	0	1	पद समाप्त				
73	कम्प्यूटर ऑपरेटर	कम्प्यूटर ऑपरेटर PB-1/5200- 20200/2400	6	0	6	पद समाप्त				
74	वरिय विपत्र लिपिक	वरिय विपत्र लिपिक PB-2/9300- 34800/4200	4	4	0	LDC/ UDC				
75	विपत्र लिपिक	विपत्र लिपिक PB-1/5200- 20200/2400	15	11	4	LDC/ UDC				
76	ध्वनी नियंत्रक	ध्वनी नियंत्रक PB-1/5200- 20200/2400	2	2	0	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
77	गेसटेटनर ऑपरेटर	गेसटेटनर ऑपरेटर PB-1/5200- 20200/2400	2	2	0	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
78	फोटो-स्टे मशीन ऑपरेटर	फोटो-स्टे मशीन ऑपरेटर PB-1/5200- 20200/2400	2	2	0	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग
79	फैक्स ऑपरेटर	फैक्स ऑपरेटर PB-1/5200- 20200/2400	2	1	1	2	सीधी भर्ती द्वारा			समूह-ग

क्र.सं.	वरीय ट्रेजरी सरकार	1	1	0	1	ट्रेजरी सरकार से प्रोन्नति		समूह-ग
80	PB-1/5200-20200/2400	1	1	1	1	प्रोन्नति द्वारा	1 पद यथावत, 1 रिक्त पद तत्काल प्रभाव से समाप्त	समूह-घ
81	ट्रेजरी सरकार PB-1/5200-20200/1800	2	1	1	1	प्रोन्नति द्वारा		समूह-घ
82	दफ्तरी PB-1/5200-20200/1800	4	3	1	4	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा		समूह-घ
83	अगिलेखवाह PB-1/4440-7440/1800	2	2	0	2	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा		समूह-घ
84	जमादार PB-1/4440-7440/1800	2	2	0	2	50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति 50% सीधी भर्ती द्वारा		समूह-घ
85	आदेशवाहक अनुसेवक (कार्यालय)	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त			पद समाप्त
86	आदेशवाहक अनुसेवक (समिति)	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त	पद समाप्त			पद समाप्त

87	अनुसूचक. PB-1/5200- 20200/1800 (मैट्रीक) 1S/4440- 7440/1650 (ननमैट्रीक)	151	148	3	75	सीधी भर्ती द्वारा	कार्यरत पदों की संख्या वर्तमान पदधारी की संवर्धनवृद्धि अथवा प्रोन्नति के पर्यायत क्रमशः आवश्यकता आघारित पद संख्या तक स्वतः सीमित होंगे ।	समूह-घ
88	कुक् PB-1/5200- 20200/1800 (मैट्रीक) 1S/4440- 7440/1650 (ननमैट्रीक)	4	2	2	4			समूह-घ

- नोट :- 1. कॉलम सं0 4 में दर्शाए गए कुल स्वीकृत पद एवं कॉलम सं0 5 में दर्शाए गए कार्यरत पद समीक्षोपरांत कॉलम सं0 7 में दर्शाए गए आवश्यकता आघारित पद सं0 तक निर्धारित किए जाते हैं ।
2. राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक - वैधा-126/2004-1159 / रा.स., राँची, दिनांक - 13-04-2017 के आलोक में समूह घ के पदों पद नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रीक उत्तीर्ण आवश्यक होगी ।
3. माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, समिति के समापतिगण, नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक तथा सचेतकों के लिए अनुमान्य सह पद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार सृजित किये जा सकेंगे । (अधिसूचना सं.-01स्था.03 / 2017-1430, दिनांक-15.06.2017)

ह० / -

19 / 04 / 17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रगारी सचिव,

झारखण्ड विधानसभा, राँची

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 15.06.2017

संख्या-01स्था0-03 / 2017-1430 / वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पदवर्ग समिति की अनुशंसा के प्रत्याशा में झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 के पाद-01 "माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, समिति के सभापतिगण, नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक तथा सचेतकों के लिए अनुमान्य पद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवश्यकतानुसार सृजित किये जा सकेंगे" जो पूर्व से ही स्थापित है, को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधित नियमावली, 2017 के अनुसूचि के अन्त में अंकित किया जाता है।

(ii) यह संशोधन झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधित नियमावली, 2017 का अंग होगा।

मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

ह० / -

15.06.17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-01स्था0-03 / 2017-1431 / वि०स०, राँची, दिनांक- 15.06.2017

प्रति:- प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राँची/ प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय (संसदीय कार्य) एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची एवं स्थापन शाखा (20 प्रति में) झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

15.06.17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या-01स्था0-03/2017-1431/वि०स०, राँची, दिनांक-15.06.2017

प्रति :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरंडा, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त नियमावली की 50 प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

15.06.17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

□□□

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक - 21.08.2017

संख्या- खण्ड-01 स्था0-03/2017-2119/वि०स०। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या "08/नीति01/2015 का० 1011, दिनांक - 03.02.2016" के भाग-II के कंडिका 06 पर वर्णित पदों के वर्गीकरण से संबंधित क्रम सं०-01 से 04 तक को पदवर्ग समिति के अनुशंसा के प्रत्याशा में निम्न प्रकार से अंगीकृत किया जाता है:-

क्र.स. 01	पदों का विवरण 02	पदों का वर्गीकरण 03
01	निम्नलिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निकासी वाले सभी पद-पी०बी० IV रू० 37400-67000, ग्रेड वेतन रू० 10,000/- 8,900/- 8,700/- पी०बी०- III रू० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रू० 7600/- 6600/- और 5400/-	समूह "क"
02	निम्नलिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निकासी वाले सभी पद-पी०बी०-II रू० 9300-34800, ग्रेड वेतन रू० 5400/- 4800/- 4600/- और 4200/-	समूह "ख"
03	निम्नलिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निकासी वाले सभी पद-पी०बी० I रू० 5200-20200, ग्रेड वेतन रू० 2800/- 2400/- 2000/- 1900/- और 1800/-	समूह "ग"
04	निम्नलिखित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में वेतन निकासी वाले सभी पद - आई०एस० रू० 4440-7440, ग्रेड वेतन रू० 1800/- और 1650/-	समूह "घ"

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के वही अर्थ होंगे जो वित्त विभाग के संकल्प सं०-660, दिनांक-28.02.2009 में उनके लिए समनुदेशित हो।

(ii) यह संशोधन झारखण्ड विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) संशोधित नियमावली, 2017 का अंश होगा एवं नियमावली के अनुसूची में उक्त पदों के वर्गीकरण में यथा स्थान पर अंकित किया जाता है।

मा० अध्यक्ष, महोदय, के आदेश से,

ह०/-

21.08.17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक सं०- खण्ड 01स्था०-03/2017 - 2120/वि०स०, राँची, दिनांक-
21.08.2017

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, योजना सह - वित्त विभाग, राँची/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राँची/प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय (संसदीय कार्य) एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची एवं स्थापन शाखा (20 प्रति में), झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

21.08.17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक सं०- खण्ड 01स्था०-03/2017 - 2120/वि०स०, राँची, दिनांक-
21.08.2017

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त नियमावली की 50 प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

21.08.17

(बिनय कुमार सिंह),

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

